वर्ष 68 अंक 2

ISSN 2231-2439
जुलाई-दिसंबर 2024

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

Estd : 1939

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डॉ. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल लिटरेसी ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं और इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002

दूरभाषः 011–43489048

ई–मेलः directoriaea@gmail.com, iaeadelhi@gmail.com

website: www.iaea-india.in; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

जुलाई–दिसंबर 2024
वर्ष 68 अंक 2

सम्पादक मण्डल

डा. सरोज गर्ग
श्री मृणाल पंत
श्री ए.एच.खान
श्री राजेन्द्र जोशी
सुश्री निशात फारूख

सम्पादक
सुरेश खण्डेलवाल

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन की चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं
– विमलेश सिंह
– विभा तिवारी 4

सा विद्या या विमुक्तये (विद्या वही जो मुक्त करे)
– रमेश चंद शर्मा 8

उत्तराखण्ड में महिलाओं को नौकरी में तीस प्रतिशत आरक्षण : राज्य के लिए वरदान है अथवा नहीं
– सौरभ मिश्र 12

विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य : विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के परिप्रेक्ष्य में
– संजीव कुमार 18

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण– अधिगम में अनुभवात्मक विधि
– शरद शर्मा 22

शिक्षा में समता एवं समावेशन: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में
– कश्यपी अवस्थी 28

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा : अपेक्षा, चुनौतियाँ एवं समाधान
– महेश नारायण दीक्षित 45

मूल्य: 200 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ता उल्लास

'उल्लास' (ULLAS) अपने क्रियान्वयन के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सन् 2022 में प्रारंभ हुई यह योजना 2027 तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर प्रौढ़ एवं आजीवन शिक्षा क्षेत्र में दशकों से कार्य कर रहे संस्थाओं एवं बुद्धिजीवियों का मानना है कि योजना अपेक्षित गति की तुलना में कहीं अधिक धीमी चल रही है।

ऐसा मानने के पीछे संभवतः पूर्व में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत संचालित विविध कार्यक्रमों से उल्लास का तुलनात्मक विश्लेषण है। सन् 1988 में प्रारंभ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता अभियान और सतत् शिक्षा जैसे कार्यक्रम संचालित किये गये। इस कड़ी का समापन साक्षर भारत कार्यक्रम के साथ हुआ जो 31 मार्च 2018 तक चला। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ही प्रभाव था कि 30 वर्ष लंबी अवधि तक साक्षरता अभियान भारत के राष्ट्रीय पटल पर छाया रहा। अभियान के परिणाम भी व्यापक रहे। एक अनुमान के अनुसार भारत की वर्तमान साक्षरता दर 80 प्रतिशत या उससे उपर जा चुकी है जो निश्चित ही साक्षरता मिशन के तहत संचालित अभियानों का सम्मिलित परिणाम है। इसके बाद के चंद वर्षों अर्थात 2018 – 2022 का समय संक्रमण काल का रहा। जहां एक ओर साक्षर भारत कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका था तो दूसरी ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में नयी योजना का आकार लेना शेष था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने वयस्क असाक्षरता की चुनौती को दूर कर उनकी समयानुकूल जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को एक नये कलेवर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जहां नाम से लेकर क्रियान्वयन पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम इसी परिवर्तन की परिणीति है जो 2022 से 2027 तक अपने लक्ष्य को साधने के लिए क्रियान्वित की गयी है।

उल्लास न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का ही परिवर्धित स्वरूप है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के शब्दों में कर्तव्यबोध की गहरी संवेदना से संचालित उल्लास के क्रियान्वयन को भारत सरकार एक पारदर्शी व्यवस्था के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है, ताकि एक निश्चित अवधि में अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाते हुए शिक्षा मंत्रालय ने अपने वेब साइट पर उल्लास से संबंधित रियल टाइम आंकड़ों को उपलब्ध कराना प्रारंभ किया है। दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश भर से 1,62,23,491 लोगों ने साक्षरता हेतु स्वयं का नामांकन कराया है जबकि उन्हें साक्षर बनाने के लिए आग्रही नामांकित वालिंटियरस की संख्या 38,41,887 है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सर्टिफाइड नव साक्षरों की संख्या 65,69,688 है। यदि 23 अप्रैल 2024 को उपलब्ध आंकड़ों से तुलना किया जाय तो ध्यान आता है कि विगत छः महीनों में 43,33,884 लोगों ने साक्षर बनने के लिए स्वयं का नामांकन कराया है जबकि इसी अवधि में 4,45,635 वालिंटियरस ने भी इस मुहिम से स्वयं को जोड़ने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यह निश्चितरूप से एक सकारात्मक संकेत है और ऑनलाइन माध्यम से असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने की कोशिश की सफलता के प्रति व्याप्त आशंका का एक हद तक निराकरण करती है।

यह बात और है कि प्रस्तुत आंकड़ों से यह आभास भी मिलता है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या उल्लास के लागू होने के लगभग 3 वर्ष होने पर भी यह योजना देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में अपना पैर नहीं जमा पाई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वेबसाईट पर उपलब्ध आंकड़ों में देश के 28 राज्यों में से केवल 11 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिसा, पंजाब और तमिलनाडु की ही उपस्थिति दर्ज है। वहीं कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 यथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ तथा लद्दाख में उल्लास से संबंधित आंकड़े उपलब्ध किये गये हैं। अगर यही वस्तुस्थिति है तो इसे सफलता का संकेत नहीं माना जा सकता। कारण असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल जैसे 17 राज्यों एवं दादरा नगर हवेली दमन और दीव, दिल्ली, लक्ष्यद्वीप, जम्मू और काश्मीर तथा पुड्डुचेरी जैसे 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में योजना यदि अभी तक गति ही नहीं पकड़ पाई है तो लक्ष्य कैसे प्राप्त हो पाएगा?

यह भी गौर करने लायक है कि उल्लास की घड़ी के अनुसार अब तक 1,62,23,491 लोगों ने साक्षरता हेतु स्वयं का नामांकन कराया है जबकि प्रदेशवार दी गई जानकारी का जोड़ 61,52,488 ही है। ऐसे में संभव है कि अन्य कई राज्यों से भी असाक्षर व्यक्तियों ने साक्षरता हेतु अपना नामांकरण कराया हो पर राज्यों के रिकार्ड में अभी तक उन्हें शामिल नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में राज्यवार सूचि को भी दुरस्त किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके और देशव्यापी साक्षरता हेतु एक व्यापक और सकारात्मक माहौल का निर्माण हो सके।

– बी. संजय

❍❍❍❍❍

''सत्याग्रह सच्चे का हथियार है। यदि लोग शांति न रखेंगे, तो मैं सत्याग्रह की लड़ाई कभी लड़ न सकूँगा।''

– महात्मा गांधी

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: क्रियान्वयन की चुनौतियां एवं भावी संभावनाएं

– विमलेश सिंह
– विभा तिवारी

औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता मिलने के बाद के 75 वर्षों में एक राष्ट्र के रूप में भारत ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की और अनेकों कीर्तिमान स्थापित किये। औद्योगिक उत्पादन, विविध सेवा क्षेत्र, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विस्तार, परमाणु हथियार और संयंत्रों के विकास से लेकर भारत की सबसे नवीन उपलब्धि कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन को निर्मित करना है। वर्तमान में इस बात में कोई संशय ही नहीं है कि इन तमाम उपलब्धियों ने भारत को विश्व में एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।

वर्तमान समय में हो रही व्यावसायिक भविष्यवाणियां यह संकेत भी दे रही हैं कि 2030–2032 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (10 ट्रिलियन) बन जाएगा। किंतु दस ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का यह विशाल लक्ष्य केवल प्राकृतिक संसाधनों के सहारे ही हासिल नहीं किया जा सकता बल्कि इसमें ज्ञान द्वारा विकसित मानव संसाधन की भी अहम भूमिका रहेगी। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, ''जनता को शिक्षित बनाओ और उनका सर्वांगीण विकास करो, तभी विकसित राष्ट्र का स्वरूप संभव है।''

मूल शब्दः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संभावनाओं के द्वार, भारत एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में, भारत एक ज्ञान महाशक्ति के रूप में, एनईपी–2020: संभावित चुनौतियां।

अध्ययन के उद्देश्य

- नई शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक संभावनाओं का अध्ययन।
- वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति 2020 को सफल बनाने की राह में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन।

राष्ट्र की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है एनईपी–2020

किसी भी देश का भविष्य विभिन्न क्षेत्रों में किये गए महत्वपूर्ण अन्वेषण एवं शोध कार्यों पर आधारित होता है। किन्तु हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों में शोध या अनुसंधान के लिए रुचि या उसके लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में सदा ही विफल रही है, जिसके कारण हम न केवल ज्ञानवर्धक किताबों के प्रकाशन में बल्कि नए–नए पेटेंट हासिल करने में भी पिछड़ गए हैं। अतः वर्तमान शिक्षा प्रणाली की इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है जिससे यह उम्मीद है कि यह पिछली शिक्षा नीति की सारी कमियों को दूर कर देश के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में सफल साबित होगी।

भारतीय शिक्षा के स्वरूप में क्रान्तिकारी सुधार करने के लिए वर्तमान सरकार ने एक व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी–2020) को प्रस्तुत किया है। एनईपी–2020 नवीन शिक्षा प्रणाली का एक ऐसा मसौदा है जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित होते हुए भी राष्ट्र की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। इस शिक्षा नीति के जरिए हमारा राष्ट्र एक ऐसे समाज के रूप में विकसित होगा जहां ज्ञान की अविरल धारा से उपलब्धियों का कोष सदा समृद्ध होता रहेगा।

नई शिक्षा नीति 2020 विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति न केवल बुनियादी समझ और नया नजरिया विकसित करेगी बल्कि स्कूल स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने तथा सभी विषयों में डिग्री स्तर पर शोध को अनिवार्य कर सामान्य सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी लायेगी। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं –

व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

एनईपी–2020 में व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण को सम्मिलित किया गया है इससे विविध रुचियों वाले विद्यार्थियों को अपनी कौशल क्षमता के विकास के अनेक अवसर उपलब्ध होगें। पाठ्यक्रम में इसका समावेशन निश्चित रूप से विद्यार्थियों की वास्तविक रुचियों को पहचानने में सहायक सिद्ध होगा और इसी के अनुसार उनके आगामी व्यावसायिक जीवन का मार्गदर्शन किया जा सकेगा।

विषय चुनने की आजादी

एनईपी–2020 में विद्यार्थी को 12वीं स्तर पर अपनी रूचि के अनुसार किसी भी विषय को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। जबकि पिछली शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के सामने सीमित विकल्प ही उपलब्ध थे। संशोधित एनईपी–2020 में विद्यार्थी इंटरमीडिएट स्तर पर विज्ञान के एक विषय के साथ इतिहास, दर्शन या कला का कोई भी विषय या वाणिज्य से कोई भी दूसरा विषय चुन सकता है। इस व्यवस्था से विद्यार्थी को आगे कॉलेज की डिग्री या स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर किसी भी विषय को चुनने की अतिरिक्त स्वतंत्रता रहेगी।

डिग्री स्तर पर अर्जित अंकों का हस्तांतरण

अब विद्यार्थी 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम में नामांकित हो सकता है जिसमें यदि विद्यार्थी को 2 साल पढ़ने के बाद कोई विषय रूचिपूर्ण नहीं लग रहा हो तो वह उसके स्थान पर कोई अन्य विषय ले सकता है और अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकता है। विद्यार्थी को पहले वाले विषय में प्राप्त परीक्षा अंकों को बाद में चुने गए विषय के परीक्षा अंकों से जोड़कर डिग्री प्रदान की जाएगी।

स्नातकोत्तर स्तर पर रिसर्च प्रोजेक्ट अनिवार्य

स्नातकोत्तर की अवधि एक से दो वर्ष की रखी गई है जिसमें विद्यार्थी की अनुसंधान संबंधी एक निश्चित स्तर की क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उच्च शिक्षा की सभी प्रणालियों में शोध एवं विश्लेषण (रिसर्च एंड एनालिसिस) का दृष्टिकोण विकसित करने को बढ़ावा दिया गया है।

विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कार्य करने की अनुमति

विश्व में शीर्ष पायदान के 100 विश्वविद्यालयों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई है जिससे वे प्रभावी रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। यह कदम अधिक योग्य शिक्षकों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धी माहौल को प्रोत्साहित करेगा। इससे भारतीय शिक्षा प्रणाली के स्तर को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ)

नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सभी विषयों एवं पाठ्यक्रमों में प्रतिस्पर्धी, नवाचार तथा समाधान से जुड़े शोध प्रस्तावों को निधि उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न वित्त पोषण संस्थानों के बजाय एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के गठन का प्रावधान है। उच्च शिक्षा में इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श मिशन की स्थापना भी की जाएगी। वरिष्ठ या सेवानिवृत्त शिक्षकों को छोटी या लंबी अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा जो अनुसंधान से जुड़े नवाचार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में सहयोग करेंगे।

उपरोक्त विशेषताओं से लगता है कि नई शिक्षा नीति 2020 हमारी शिक्षा प्रणाली में बेहतर और सार्थक परिवर्तन लाने में सफल साबित होगी। व्यावसायिक प्रशिक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने और स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को विविध विषयों को चुनने या छोड़ने का विकल्प देने से निश्चित रूप से विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने और अपना लक्ष्य प्राप्त करने में निसंदेह मदद मिलेगी। शिक्षा प्रणाली में यह नवीन परिवर्तन पहली बार स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उच्च स्तरीय शोध एवं विविध शैक्षणिक अनुशासनों से संबंधित विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करने की प्रवृति को बढ़ावा देने वाला है। यह एक उदार शिक्षा प्रणाली है जो सही मायने में विद्यार्थी को ज्ञान के खुले आसमान में उड़ने की आजादी का आश्वासन दे रही है।

एनईपी–2020: संभावित चुनौतियां

वर्तमान समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त कमी है और साथ ही उपयुक्त संसाधनों का भी अभाव है। ऐसे में स्कूल एवं उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक विषय संबंधी अपेक्षित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा विभिन्न विषयों के समुच्चय (कांबिनेशन) को पढ़ाने की व्यवस्था करना एक अति चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। वर्तमान समय में देश के स्कूलों एवं महाविद्यालयों की स्थिति देखें तो अभी भी पर्याप्त मूलभूत व्यवस्थाओं यथा स्मार्ट कक्षाओं, शिक्षा हेतु डिजिटल मीडिया उपकरण, शिक्षा संस्थानों में सामान्य एवं पर्याप्त अधोसंरचना, आदि का अभाव है। विभिन्न विषयों के शिक्षकों की कमी, शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा अन्य प्राशासनिक कार्यों में सदा लगाए रखना, यहां तक कि उपयुक्त सफाई व्यवस्था एवं स्वच्छ पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं होना इस समस्या को और भी गंभीर बना देती है। ऐसे में इस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

मूल्यांकन एवं निष्कर्ष

उपरोक्त सभी चुनौतियों के बावजूद नई शिक्षा नीति 2020 नई उम्मीदों और संभावनाओं का आसमान उपलब्ध करा रही है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को नए उत्साह से पुनर्जीवित करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में देश के सकल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत राशि का निश्चित रूप से निवेश करना होगा। कुल मिलाकर एनईपी 2020 युवा पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य और शिक्षा प्रणाली में प्रभावपूर्ण बदलाव लाने की उम्मीद लेकर आयी है। अब यह संशोधित और सुनियोजित नई शिक्षा नीति राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है। आवश्यकता केवल इसके उपयुक्त कार्यान्वयन की है जिससे जमीनी स्तर पर इसका लाभ सभी को मिले सके। अतः इस नीति को सफल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, निजी क्षेत्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़कर अपना बहुमूल्य योगदान देना होगा। एनईपी–2020 निश्चित रूप से एक महत्वाकांक्षी नीति है जो हमारी शिक्षा प्रणाली एवं रोजगार की दिशा में उज्ज्वल भविष्य का आगाज कर रही है। चुनौती केवल यही है कि इस पर सोच–समझकर उपयुक्त रूप से अमल किया जाए।

संदर्भ

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय।
- प्रशांत कुमार, 21वीं सदी की मांग पूरी करेगी नई शिक्षा नीति, आउटलुक हिंदी, 24 अगस्त 2020।
- गिरीश मिश्र, नई शिक्षा नीति, संभावनाएं और चुनौतियां, कंचनजंगा, पीयर रिव्यूड जनरल, वर्ष 01, अंक 02।
- www.drishtiias.com Drishti: The Vision, राष्ट्रीय शिक्षा नीति : महत्व व चुनौतियां 31 2020।
- Kumar, K. (2005) Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India. Indian Educational Review 2, Draft National Education Policy 2019.
- https://www.hindi.sscadda.com/new-education-policy-2020-in-hindi/
- https://www.shikshaniti.com/
- https://panchjanya.com/2021/08/03/183339/bharat/delhi/national-education-policy-2020-prospects-and-challenges/

❍❍❍❍❍

''लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है।''

– नेल्सन मंडेला

सा विद्या या विमुक्तये
(विद्या वही जो मुक्त करे)

– रमेश चंद शर्मा

विद्या में समग्रता, ब्रह्माण्ड, विविधता, अनेकता में एकता का भाव समाया हुआ है। एक को साधे सब सधे की बात है। विद्या सहजता, सरलता, स्पष्टता, सादगी, सच, स्नेह और व्यापकता की ओर ले जाती है। इससे शुभ, लाभ, मंगल, कल्याण, साधना, संकल्प, निष्ठा का विकास होता है। विद्या जन्म के साथ भी मिलती है। इसको सही दिशा, अवसर, मौका, माहौल, समझ, सोच, विचार मिल जाए, और यह सही ढ़ंग से अंकुरित हो जाए तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राह आसान कर देती है। दुनिया में विद्या प्राप्त करने वाले असंख्य लोग हैं जो अशिक्षित, अनपढ़ रहते हुए भी अद्‌भुत क्षमता के धनी रहे हैं। इनके उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित हैं।

वह शिक्षा जो साक्षरता, पुस्तक, जानकारी तथा सूचना तक सीमित रह जाती है अक्सर संकीर्णता की ओर ले जाती है। ऐसी शिक्षा खंड, पिंड, सीमित, संकुचित मानसिकता की ओर धकेलती है। लाभ, लोभ, शोषण, लूट के रास्ते खोलती है।

भाव को समझने के लिए विद्या और शिक्षा शब्द का प्रयोग किया गया लगता है। कुछ जगह शिक्षा, सबक, सीख, विद्या, ज्ञान आदि शब्दों को पर्यायवाची भी माना जाता है।

विद्या का मनुष्य जीवन में बहुत बड़ा योगदान, महत्व है। विद्या मनुष्य जीवन में विकास के द्वार खोलती है। एक सार्थक जीवन जीने का माध्यम बनती है। मनुष्य के मुक्तता के द्वार खोलती है। यह विद्या आखिर है क्या? इसे जानने, समझने, पहचानने, अपनाने की आवश्यकता है। आओ इस विद्या और शिक्षा को जानने का प्रयास करते हैं।

अक्षर ज्ञान, साक्षरता, लिखना पढ़ना तो शिक्षा का अंग है। विद्या का वास्तविक सही स्वरूप तो बहुत ही वृहद, विस्तृत है। शिक्षा पर पुरातन काल से तरह–तरह से काम किया जा रहा है। शिक्षा पर अनेकों शोध होते रहे हैं। जिससे विभिन्न स्वरूप, प्रकार, परिभाषा प्रकट हुए। अनेक प्रकार के प्रयोग, विचार होते रहे हैं। घर, समाज, आश्रम, गुरूकुल, विद्यालय, पाठशाला, शिक्षण संस्थानों के द्वारा शिक्षा मिलती रही। जिनकी व्यवस्था, प्रबंधन, प्रकार भी समय के साथ–साथ बनते बिगड़ते रहे। मुफ्त से लेकर मंहगी? मुक्त से लेकर बंधन, सामान्य से लेकर विशेष, खुले आसमान से लेकर बंद भवन तक, शिक्षा ने अनेक उतार चढ़ाव, प्रयोग देखें हैं। यह क्रम अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसलिए संवाद, चर्चा, गोष्ठी सम्मेलन, संगति, कार्यशाला, प्रयोग, विचार मंथन, चिंतन, मनन की सतत् आवश्यकता है।

विद्या का मतलब है मनुष्य का मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी प्रकार का विकास यानी समग्र विकास।

जीने की कला का अभ्यास, आचरण, पालन ही विद्या है। जिससे जीवन में विनम्रता, चिंतन, मनन,

श्रम, सादगी, सहजता, सरलता, निर्भयता, निष्पक्षता, कला, संगीत, रोजगार, साहित्य, सामूहिकता, सामंजस्य, सौहार्द्र, स्वावलंबन सधे वह विद्या है। संक्षेप में कहें तो हाथ, हृदय, मस्तिष्क का विकास जिससे संभव हो वह विद्या है।

सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना, तालीम लेना देना, सूचना का आदान प्रदान, अभ्यास, दक्षता, निपुणता, उपदेश, साधना, मंत्र, तप, जप, सबक, शासन, न्याय, समता, संयम, श्रम, स्वानुशासन, करूणा, दंड, विनय, शिष्टता, विनम्रता, विज्ञान, कला, प्रयोग, ज्ञान, साहित्य, सृजनशीलता, रचना, कौशल विद्या के अंग हैं। विद्या जन्म से मृत्यु तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विद्या क्षेत्र, समाज, देश, प्रकृति की जरूरत के अनुसार अपनी पगडंडी, राह तलाश लेने की क्षमता, कुशलता रखती है।

श्रम निष्ठा द्वारा स्वास्थ्य, उद्योग द्वारा स्वावलंबन, कर्म द्वारा सत्य निष्ठा और वैज्ञानिक वृति, कार्य, द्वारा व्यवस्था तथा स्वच्छता का अभ्यास, सामूहिक जीवन द्वारा सहिष्णुता, सहयोग द्वारा सेवा वृति, कार्य कुशलता द्वारा ज्ञान पिपासा की पूर्ति और स्वाध्याय, निर्माण द्वारा कल्पना, मूल प्रवृतियों का शोधन, कर्तव्य निष्ठा आदि मानवीय गुणों से ही विद्या की बुनियादी मजबूत होती है।

स्वच्छ और स्वस्थ जीवन, सामाजिक शिक्षण और समाज सेवा, मूल उद्योग और स्वावलंबन, सांस्कृतिक और कलात्मक जीवन, तत्संबंधी सिद्धांत, ज्ञान प्राप्ति एवं उसका अभ्यास भी विद्या के अंग हैं।

आत्म संरक्षण, जीविकोपार्जन, पालन पोषण एवं वंश वृद्धि, नागरिकता की शिक्षा, अवकाश का सदुपयोग यह पांच तत्व विद्या का अभिन्न भाग है।

अंग्रेजी विद्धान हेक्सले का कहना है कि ''उस आदमी को सच्ची शिक्षा मिली है। जिसका शरीर इतना सधा हुआ है कि उसके काबू में रह सके और और आराम व आसानी के साथ उसका बताया हुआ काम करे। उस व्यक्ति को सच्ची शिक्षा मिली है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, शांत है और न्यायदर्शी है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है, जिसका मन कुदरत के कानूनों से भरा है और जिसकी इन्द्रियां अपने वश में है, जिसकी अन्तर्वृति विशुद्ध है और जो नीच आचरण को धिक्काराता है तथा दूसरों को अपना जैसा समझता है। ऐसा आदमी सचमुच शिक्षा पाया हुआ माना जाता है, क्योंकि वह कुदरत के नियमों पर चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह भी कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा।'' यहां मुझे लगता है कि शिक्षा शब्द जिसे हम विद्या कह रहे हैं उस भाव में ही प्रयोग किया गया है।

यह सच्चाई है कि सदाचारी, नैतिक, इन्द्रियों को वश में रखने वाला विद्या ग्रहण करेगा तो उसका सदुपयोग कर सकता है। ऐसे आधार पर बनी इमारत ही टिक सकती है। वही जनहित में काम कर सकता है। सबके भले में ही अपना भला देख सकता है। अच्छा सफल नागरिक सिद्ध हो सकता है। मानवता, प्रकृति, मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं को समझकर आगे बढ़ने का प्रभाव पड़ता है।

ऐसी कहावतें बहुत प्रचलित हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा गुरू तथा शिष्य, यथा जनक (माता पिता) तथा संतान, यथा भाषाक तथा भाषा अर्थात् जैसा बोलने वाला वैसी बोली। संगत, सत्संग, संगीत, साथ, सोच, समझ, माहौल, वातावरण पर विद्या का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

शिक्षा मातृभाषा में हो, शिक्षा मुफ्त हो, शिक्षा लोगों की जरूरतों को पूरा करती हो, शिक्षा स्वावलंबी हो, स्वावलंबी बनाने का काम करें, श्रम शिक्षा का अभिन्न अंग रहे, शिक्षा काम–धंधे, उत्पादन, कृषि,

उद्योग से जुड़ी हो, शिक्षा की व्यवस्था पर जनता का अंकुश रहे, शिक्षा और व्यक्ति, परिवार, घर, समाज, देश की स्थिति के बीच आपस में मेल हो, शिक्षा और व्यक्ति, परिवार, घर, समाज, देश की स्थिति के बीच आपस में मेल हो, शिक्षा समग्रता में हो। एकांगी अक्षर ज्ञान बहुत खतरनाक है। यह शिक्षा के लिए जरूरी है। विद्या की तो अपनी ही बोली, भाषा होती है, जिसको जो समझ आ जाए उसका अनुसरण करे।

चिंतन मनन की स्पष्टता, अपने लक्ष्य प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से कर्म करने की शक्ति, कुशलता सीखना, शिक्षा और विद्या दोनों की जरूरत है।

गांधी जी ने भी शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा, लिखा, प्रयोग किया है। बुनियादी शिक्षा, नई तालीम के प्रयोग काफी चर्चित रहे हैं। एक नई दिशा, सोच, समझ पैदा की है।

गांधी जी ने कहा कि ''सार्थक शिक्षा वही है जो अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखाए। अच्छाई को आत्मसात करते हुए बुराई से बचने की राह दिखाए।''

''सच्चा प्रेम स्तुति से प्रकट नहीं होता, सेवा से प्रकट होता है। जिसके लिए आत्म शुद्धि चाहिए, वह सेवा की अनिवार्य शर्त है।''

''....हमारी स्वराज्य साधना के इस अमूल्य वर्ष में हमने अपनी आत्मशुद्धि की साधना पूरी की होगी तो भी काफी है।'

''जैसे स्वराज्य की कुंजी विद्यार्थियों की जेब में हैं, वैसे ही समाज सुधार और धर्म रक्षा की कुंजी भी वे अपनी जेब में लिए फिरते हैं। यह हो सकता है कि लापरवाही से अपनी जेब में पड़ी हुई अनमोल चीज का उन्हें पता न हो।'.....मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थी अपनी शक्ति का अंदाज लगा लेंगे।''

''आत्म शुद्धि ही उत्तम सेवा है।''

''बिना हिम्मत की शिक्षा ऐसी ही है, जैसे मोम का पुतला। दिखने में सुंदर होते हुए भी किसी गरम चीज के जरा छू जाने से ही वह पिघल जाता है।''

''सादगी दुःख सहने की शक्ति, भोग, त्याग, एक निष्ठा, दृढता, एकाग्रता, त्याग, नियम पालन और सतत जागृति का योगियों को शरमाने वाला नमूना दुनिया के सामने पेश करना।''

''जो असंभव दिखता हो, वह नवयुवक के साहस को बिल्कुल संभव मालूम होना चाहिए। असंभव को संभव बनाने में ही नवयुवक की वीरता और शोभा है।''

''सा विद्या या विमुक्तये'' यानी विद्या वही है जो मुक्त करे – इस प्राचीन मंत्र को सिद्ध कर ले। विद्या यानी केवल आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति यानी छुटकारा, इतना ही इसका अर्थ न करें। विद्या का अर्थ है लोकोपयोगी सारा ज्ञान प्राप्त करना और मुक्ति से मतलब है इस जीवन में सब तरह की गुलामी से छुटकारा पाना। गुलामी का अर्थ है किसी दूसरे के अधीन होना या अपने आप पैदा की हुई बनावटी जरूरतों का गुलाम बनना। इस प्रकार की मुक्ति जिसके द्वारा मिले वही असली शिक्षा है।''

शिक्षा जीवन भर चलती है। उसका प्रारंभ जन्म से ही हो जाता है और मृत्यु के साथ ही समाप्ति होती है। जाने अनजाने भी मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है।

बापू ने कहा है कि ''सुसंस्कृत घर जैसी कोई पाठशाला नहीं और ईमानदार, सदाचारी माता–पिता जैसे शिक्षक नहीं।''

गांधी जी के यह भाव विद्या को ही स्पष्ट करते हैं, चाहे शब्द शिक्षा का प्रयोग किया गया है।

संत बाबा विनोबा भावे जी के यह शब्द जय जगत की ऊंचाई पर पंहुचाते हैं।

''हम किसी भी देश विशेष के अभिमानी नहीं।

किसी भी धर्म विशेष के आग्रही नहीं।

किसी भी सम्प्रदाय व जाति विशेष में बद्ध नहीं।

विश्व में उपलब्ध सद् विचारों के उद्यान में विहार करना, यह हमारा स्वाध्याय।

सद् विचारों को आत्मसात करना हमारा धर्म।

विविध विशेषताओं में सामंजस्य प्रस्थापित करना, विश्व का विकास करना, यह हमारी वैचारिक साधाना।

हमारे जीवन का ध्येय है, हृदयों को जोड़ना।''

मुझे लगता है कि हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, समझने के लिए विद्या और शिक्षा शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमें अब विद्या और शिक्षा शब्द पर बहस में नहीं पड़कर इनके भाव, आत्मा, सत को समझने, जानने की आवश्यकता है। आज के जमाने में जो पढ़ाई है वह विद्या की श्रेणी में नहीं आता है ऐसा लगता है।

❍❍❍❍❍

''अहिंसा कोई स्थूल वस्तु नहीं है, जो आज हमारी दृष्टि के सामने है। किसी को मारना तो है ही, कुविचार मात्र हिंसा है। उतावली हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत के लिए जो आवश्यक वस्तु है, उस पर कब्जा रखना हिंसा है।''

– महात्मा गांधी

उत्तराखण्ड में महिलाओं को नौकरी में तीस प्रतिशत आरक्षण : राज्य के लिए वरदान है अथवा नहीं

— सौरभ मिश्र

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है फिर भी व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के कुशल निर्वहन में शताब्दियों से आज तक महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है। उत्तराखण्ड भी इसका अपवाद नहीं है। यहां भी महिलाओं ने, चाहे राज्य के हिमालयी क्षेत्र की हों या मैदानी क्षेत्र की, प्राचीन समय से ही अनेकों ऐतिहासिक सोपानों का निर्माण किया। यह ठीक है कि आज के युग में महिला सशक्तिकरण के उच्चस्तरीय दावे किए जा रहे हैं, पर उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने शताब्दियों से अपनी दुरुह जीवन शैली के होते हुए भी स्वयं हीं एक गौरवान्वित इतिहास की रचना की है।

पहाड़ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती–बाड़ी तथा पशुपालन से जुड़ा हुआ है व इनसे सम्बन्धित अधिकांश कार्य उत्तराखण्ड राज्य की महिलाओं के ही जिम्मे है। इसलिए इस अर्थव्यवस्था के संचालन में महिलाओं का विशेष योगदान है। दीपा नौटियाल (टिंचरी माई) उत्तराखण्ड में शराब मुक्ति की प्रेरणा रही हैं। ये इच्छागिरी माई अथवा ठगुली देवी के नाम से भी जानी जाती हैं। बछेन्द्री पाल उत्तराखण्ड के उत्तरकाशी जिले के एक भोटिया परिवार में जन्मी महिला हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। इनको वर्ष 1984 में पद्म श्री, वर्ष 1986 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार तथा वर्ष 2019 में पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनके अलावा तीलू रौतेली, गौरा देवी, आदि ने भी सामाजिक दृष्टि से ऐतिहासिक परिवर्तन की ऐसी नींव रखी जिसने पहाड़ ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के मानव समाज को नयी शिक्षा दी।

इन सबके बावजूद उत्तराखण्ड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में पर्याप्त अन्तर देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आज भी 18–18 घण्टे विभिन्न प्रकार के कार्यों में समय देना पड़ता है फिर भी वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं हैं। आज भी महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, बिना इच्छा के गर्भपात आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है। "गद्यकोश डॉट आर्गनाईजेशन" में दिए गए आँकड़े बताते हैं कि, उत्तराखण्ड में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में 22 फीसदी की वृद्धि हुई है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में 374 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आये हैं जिसमें दहेज हत्या की 60 तथा एसिड अटैक की 3 घटनाएं शामिल हैं। इतना सब होने के बावजूद भी उत्तराखण्ड की नारी–शक्ति बिना किसी सहारे के "अपना सम्बल स्वयं" होने का परिचय देती है।

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की "वूमेन क्राइम इन उत्तराखण्ड" शीर्षक रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखण्ड में वर्तमान में महिलाओं पर हो रहे अपराधों की घटनाएं बढ़ रही हैं। वर्ष 2020 में महिलाओं पर हुए जुर्म के कुल 2846 मामले पंजीकृत हुए थे वहीं वर्ष 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 3431 हो गया था। महिलाओं से दुष्कर्म के मामले वर्ष 2020 में जहाँ 487 थे वहीं वर्ष 2021 में बढ़कर 534 हो गये। ठीक इसी तरह महिला अपहरण के मामले जो 2020 में 349 थे, वर्ष 2022 में बढ़कर 402 हो गए। पर उत्तराखण्ड में महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा के मामले में कमी दर्ज की गयी है।

सभी जानते हैं कि, उत्तराखण्ड निर्माण आन्दोलन में भी महिलाओं ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया था। इतना हीं नहीं राज्य में विकास की दिशा में अनेक प्रमुख आंदोलनों का सफल संचालन यहां की महिलाओं द्वारा किया गया जैसे "चिपको आन्दोलन" (1970), मद्यनिषेध आन्दोलन के अन्तर्गत "शराब विरोधी आन्दोलन"(1960), "नशा नहीं रोजगार दो" (1984) आदि। वर्ष 1970 के बाद राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुई महिला–स्वातंत्र्य चेतना की लहरें भी पहाड़ तक पहुँची। वहाँ भी कई नारी संगठन बने। सरकारी योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर बने "महिला मंगल दल" ने भी महिलाओं को सचेत बनाने का काम किया। उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण में रक्षासूत्र मैती संस्कृति, सर्वशिक्षा, साक्षरता तथा महिला समाख्या जैसे प्रमुख आन्दोलन जोर–शोर से चलाए गए।

"नवारुण प्रकाशन" से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक "उत्तराखण्ड की महिलाएं : स्थिति एवं संघर्ष" में इस पर्वतीय प्रदेश की स्त्रियों के हालात, विभिन्न आन्दोलनों में उनकी भूमिका, उनकी राजनैतिक, सामाजिक एवं पारिवारिक चुनौतियाँ आदि को ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समग्रता में प्रस्तुत किया गया है। जनसंख्या, आन्दोलन, शराब, हिंसा, स्वास्थ, शिक्षा, सम्पत्ति का अधिकार, विभिन्न समाजों में महिलाओं की भूमिका आदि पर विस्तृत चर्चा करते हुए यह पुस्तक राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका को उजागर करती है। इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार मध्यवर्गीय महिलाएं अपनी दिनचर्या में व्यस्त होने के कारण अपनी निजी जिन्दगी तक सीमित रह गयी हैं। इसलिए इस वर्ग की महिलाओं में परिस्थितियों से संघर्ष की चेतना शून्य प्राय है। इसके विपरीत ग्रामीण स्त्रियां परिस्थितियों को अधिक समझती हैं और वे मुखर भी हैं। वे अपनी और समाज जीवन को प्रभावित करने वाले सभी बिन्दुओं से जुड़े आन्दोलनों में सक्रिय रहती हैं। यह गौर करने लायक है कि इन जगहों पर भी महिला नेतृत्व की कमी के कारण वे अकसर पिछड़ जाती हैं।

उत्तराखण्ड में महिला कामगारों की संख्या पुरुषों से अधिक हो गयी है। ई–श्रम पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार महिला कामगारों की संख्या उत्तराखण्ड में उसके पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आगे है। उत्तराखंड के 29 लाख 64 हजार 651 कामगारों में 55.18 प्रतिशत महिला कामगार हैं जबकि 44.82 प्रतिशत पुरुष कामगार। राज्य की कुल जनसंख्या में 29.68 लाख लोगों ने किसान, स्ट्रीट वेंडर्स, कपड़ा निर्माण, भवन निर्माण, श्रमिकों के तौर पर स्वयं का पंजीकरण कराया है। इनमें 16.37 लाख संख्या केवल महिलाओं की ही है।

उत्तराखण्ड में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व

राज्य की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ विभिन्न दलों के जीत के समीकरणों का आधार जाति, धर्म, व्यवसाय, पहाड़–मैदान में बंटा है महिलाओं की भागीदारी पर नहीं। जबकि, राज्य में आधी आबादी ही नहीं मतदाताओं में भी लगभग आधी संख्या महिलाओं की ही है।

न्यूज लाईव 24x7 के अक्टूबर 2021 के आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखण्ड में 2017 के विधान सभा चुनाव में 70 सीटों में से मात्र 41 पर ही महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी थीं। तब चुनाव में कुल 62 महिला उम्मीदवार थी। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में मात्र चार महिला उम्मीदवार थीं।

उत्तराखण्ड में महिला मतदाता

वर्ष 2017 में देहरादून जिले के धर्मपुर सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या 83371 थी जो राज्य के किसी अन्य सीट के मुकाबले सबसे ज्यादा थी। महिला मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान देरादून में रायपुर सीट की थी जहां महिला मतदाताओं की संख्या 77042 थी। तीसरा स्थान ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर सीट का था जहां महिला मतदाताओं की संख्या 73270 थीं। सबसे कम महिला मतदाता उत्तरकाशी की पुरोला सीट पर थीं जिनकी संख्या मात्र 32256 दर्ज हुई। राज्य में सात ऐसी विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ 2017 में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा थी। वे सभी सीटें पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें केदारनाथ, पौड़ी, चौबट्टाखाल, धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, द्वाराहाट सीटें शामिल हैं। इनमें भी द्वाराहाट सीट पर पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या में सबसे अधिक अन्तर 2726 पाया गया, इसके बाद डीडीहाट सीट पर यह अन्तर 2621 का रहा।

उत्तराखण्ड में महिलाओं के जनसंख्या की स्थिति पर गौर करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में महिलाओं की आबादी 49.84 लाख है, जबकि पुरुषों की आबादी 52.38 लाख है। राज्य की 71 फीसदी महिला आबादी गांवों में निवास करती है। राज्य की 65 फीसदी आबादी की आजीविका 'कृषि' है। राज्य में 64 फीसदी महिलाएं अपने खेतों में कृषि करती हैं। वहीं 8.84 फीसदी महिलाएं दूसरों के खेतों में परिश्रम करती हैं।

उत्तराखण्ड में महिलाओं को पति की सम्पत्ति में बराबरी का अधिकार

उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम को संशोधित करते हुए महिलाओं को कृषि भूमि में बराबरी का हक देने सम्बन्धी अध्यादेश जारी किया है। इसके बाद महिलाओं को अब उनके पति के पैतृक सम्पत्ति में सह–खातेदार बनाया जाएगा जिससे करीब 35 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतन्त्र बनाना है।

उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण से लेकर उत्तराखण्ड राज्य के विकास में मातृशक्ति की भूमिका

किसी से छिपी नहीं है। इसलिए राज्य की महिलाओं को यहाँ "रीढ़ की हड्डी" कहा जाता है। केन्द्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किए जाने के बाद उत्तराखण्ड सरकार ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का निश्चय किया है।

उत्तराखण्ड में महिलाओं को 30 प्रतिशत रिजर्वेशन

उत्तराखण्ड विधानसभा ने 30 नवम्बर 2022 को राज्य सरकार की सेवाओं में स्थानीय महिलाओं को 30 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने हेतु एक विधेयक पारित किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन् 2006 में उत्तराखण्ड राज्य के एक फैसले पर लगी रोक को हटा लेने के कुछ हफ्ते बाद आया। उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन) विधेयक 2022 अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।

इस महिला रिजर्वेशन विधेयक के उद्देश्यों के बारे में राज्य सरकार का कहना है कि, उत्तराखण्ड की भौगोलिक संरचना के कारण दूर–दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग, विशेष रुप से महिलाओं का जीवन कठिन है। इस कारण उनका जीवन स्तर अन्य राज्य की महिलाओं से नीचे है साथ ही राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं द्वारा बहुत कम प्रतिभाग किया गया है। इस रिजर्वेशन के कारण वर्तमान अन्तर को कम किया जा सकेगा। इसका फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जिनके पास उत्तराखण्ड का वैध निवास प्रमाण–पत्र होगा।

राज्य के पुलिस बल में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण

पुलिस को महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण बनाने के उद्देश्य से राज्य के पुलिस बल में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। महिलाओं की संख्या बढ़ने से न केवल पुलिस बल में रिक्तियों को भरने बल्कि पुलिस में महिलाओं के महत्व को मान्यता दिलाने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार पुलिस बल को महिलाओं के लिए अधिक मैत्रीपूर्ण बनाया जा रहा है ताकि महिलाओं के लिए पुलिस तक पहुँचना आसान हो जाये।

इस प्रकार पांच राज्यों यथा उत्तराखण्ड, असम, छत्तीसगढ़, राजस्थान और सिक्किम में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षरण दिया गया है। जबकि 10 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और 7 संघ राज्य क्षेत्रों यथा चंडीगढ़, दमन व दीव, लक्ष्यदीप, दादर नागर हवेली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुद्दुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं को यह आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है।

उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा 30 दिसम्बर 2022 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सदन में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी आरक्षण सुरक्षित करने वाला बिल पेश किया और यह उसी दिन पास हो गया। यह बिल राज्य के गर्वनर के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। बिल पर उनके हस्ताक्षर होने के साथ ही इस विधेयक का कानून बनना तय था जिसके साथ हीं उत्तराखण्ड में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 फीसदी सीटें सुरक्षित

होंगी। 10 जनवरी 2023 को उत्तराखण्ड के राज्यपाल ले०ज० गुरमीत सिंह (से०नि०) ने उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी।

महिला क्षैतिज आरक्षण को लेकर पहली बार 18 जुलाई 2001 को अंतरिम सरकार द्वारा 20 प्रतिशत आरक्षण का शासनादेश जारी किया था। 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन सरकार ने आरक्षण को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया। 26 अगस्त 2022 को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाई थी। 4 नवम्बर 2022 को सरकार की स्पेशल लीव पेटिशन (एस०एल०पी०) पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। 29 नवम्बर 2022 को सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पेश किया। 30 नवम्बर 2022 को सरकार ने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराकर इसे राजभवन भेजा गया। 10 जनवरी 2022 को राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी।

उत्तराखण्ड सरकार के इस फैसले से राज्य में महिलाओं के मनोबल में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश महिलाओं का मानना है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद स्थानीय महिलाओं में अब अनिश्चितता का माहौल खत्म हो जायेगा। स्थानीय महिलाओं को पूरी तरह से उनका अधिकार मिलेगा और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा जिससे समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। राज्य में महिलाओं के सामाजिक रुतबे को बढ़ाने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह विधेयक एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

संदर्भ

1. https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-uttarakhand-women-policy-preliminary-draft-prepared-23243590.html
2. http://gadyakosh.org/gk/उत्तराखण्ड में महिलाओं की स्थिति / कविता भट्ट
3. https://www.jagran.com/uttarakhand/dehradun-city-women-will-get-benefits-in-economic-political-and-social-fields-at-uttarakhand-22118460.html
4. https://nainitalsamachar.org/uttarakhand-ki-mahilaye/
5. https://www.indiawave.in/top-story-of-the-day/30-percent-job-reservation-bill-pass-in-uttarakhand-for-women-know-everything
6. https://www.livehindustan.com/uttarakhand/story-obesity-is-increasing-among-women-of-uttarakhand-rural-women-overweight-along-with-cities-nfhs-survey-report-6477638.html
7. https://www.livehindustan.com/uttarakhand/story-women-outnumber-men-again-more-women-workers-shocking-statistics-of-e-shram-portal-6970100.html
8. https://www.livehindustan.com/uttarakhand/story-uttarakhand-women-work-more-than-men-up-also-lags-behind-in-report-7309618.html
9. https://wcd.nic.in/sites/default/files/Booklet_H.pdf
10. https://newslive24x7.com/women-in-politics/
11. http://gadyakosh.org/gk/
12. http:// yourstory.com/hindi/uttarakhand-passes-bill-giving-30-job-quota-to-women

13. https://navbharattimes.indiatimes.com/state/uttarakhand/dehradun/women-reservation-in-uttarakhand-masterstroke-by-pushkar-singh-dhami-latest-news update/articleshow/95890536. cms
14. https://www.aajtak.in/crime/story/uttarakhand-women-and-girls-are-not-safe-crime-increased-year-by-year-967859-2019-10-19
15. https://www.jagran.com/uttarakhand/nainital-women-crime-in-uttarakhand-534-women-misdeed-and-402-abducted-in-uttarakhand-23031584.html
16. https://www.drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/women-got-legal-right-to-horizontal-reservation-in-uttarakhand,-governor-approved-the-bill
17. https://www.aajtak.in/education/history/story/when-bachendri-pal-made-history-by-becoming-the-first-indian-woman-to-climb-mount-everest-1469022-2022-05-24

❍❍❍❍❍

''प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के सहारे के बिना हम असहाय हैं। प्रार्थना के बिना कोई मानवी प्रयास पूर्ण नहीं होता। इस निश्चित स्वीकृति के बिना कोई प्रयास कभी पूर्ण नहीं होता कि मानव चाहे कितना ही प्रयास कर ले, उस प्रयास के पीछे यदि ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है, तो सब प्रयास व्यर्थ ही होने वाला है। प्रार्थना विनम्रता को जगाती है। प्रार्थना आत्म शुद्धि कराती है, आत्मशोध कराती है।''

— महात्मा गांधी

विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य : विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के परिप्रेक्ष्य में

— संजीव कुमार

प्रस्तुत शोध–पत्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित एवं प्रेरित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 द्वारा विकसित विद्यालयी शिक्षा के पाँच पूर्ण लक्ष्यों पर चर्चा करता है। लेख के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में रूपांतरित करने के विचार को प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा के विजन एवं भारतीय मूल्यों से विकसित समतामूलक, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों की प्रांसगिकता को उजागर किया गया है।

मुख्य शब्द : शिक्षा के लक्ष्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा

किसी भी देश के बहुआयामी राष्ट्रीय विकास तथा सामाजिक व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने में विद्यालयी शिक्षा निर्णायक भूमिका निभाती है। शिक्षा मानव की पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है (भारत सरकार, 2020, पृ. 03)। गौरतलब है कि शिक्षा का व्यापक संदर्भ विकास से जुड़ा है। विद्यार्थी के सम्पूर्ण विकास में लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था के समन्वय की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952–53 कहता है कि लोकतान्त्रिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण व चहुँमुखी विकास है अर्थात् एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो विद्यार्थियों को एक समुदाय में जीने की बहुआयामी कला में दीक्षित करे। (मा.शि.आ., 1952–53, पृ. 20)।

विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 ने स्कूली शिक्षा के लक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के व्यापक दृष्टिकोण को मूलभूत आधार बनाया है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में उल्लेखित विद्यालयी शिक्षा की उन्नति हेतु लक्ष्यों पर चर्चा करने से पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तुत दृष्टिकोण का उल्लेख करना जरूरी हो जाता है जिसकी चर्चा एनसीएफ 2023 के अनुभाग 1.2 में भी की गयी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण एवं विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विचार प्रस्तुत किया है कि शिक्षा स्वभाव में मूलतः बहुमूल्य ज्ञान, क्षमताओं, मूल्यों और चारित्रिक सोच की प्राप्ति रूपी उपलब्धि है। इस संबंध में एनसीएफ 2023 दस्तावेज ने माना है कि समाज उन ज्ञान, क्षमताओं, मूल्यों और स्वभावों का निर्णय करता है, जो पर्याप्त रूप से 'मूल्यवान' हों तथा जिन्हें शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, और इसलिए उन्हें उस दृष्टिकोण से

अवगत कराया जाता है जो स्वयं समाज के पास है। इसलिए व्यक्तिगत ज्ञान, क्षमताओं और मूल्यों का विकास दृष्टिकोण के माध्यम से होता है और इस प्रक्रिया में शिक्षा समाज की परिकल्पना/दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देती है। दस्तावेज ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तुत शिक्षा के दृष्टिकोण को उल्लेखित करते हुए भारतीय संविधान में देश का विस्तृत एवं व्यापक दृष्टिकोण तथा सभ्यतागत विरासत की महत्ता को व्यक्त किया है। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण निम्न प्रकार से है :

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली पर आधारित है जो सभी को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा कर, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और समतामूलक न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। (एन.ई.पी.,2020, पृ. 08)

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है – जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने के काबिल हो, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मकता, कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हो। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो अपने संविधान द्वारा परिकल्पित – समावेशी और बहुलत्तावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान कर सकें। (एन.ई.पी., 2020, पृ. 06)

शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक समझ ना होकर चरित्र निर्माण और 21वीं शताब्दी के मुख्य कौशलों से सुसज्जित नागरिक तैयार करना है। (एन.ई.पी., 2020, पृ. 17)

विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्य : राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 ने 1.2 अनुभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण (विजन) को आधार बनाकर स्कूली शिक्षा के निम्न लक्ष्यों को प्रस्तुत किया हैः

उचित मूल्यों, स्वभाव, क्षमताओं और ज्ञान को विषय वस्तु एवं शिक्षा शास्त्र में सम्मिलित करना चाहिए। विद्यालयी शिक्षा को विद्यार्थियों में राष्ट्रीय शिक्षा के उपरोक्त दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए आवश्यक उचित मूल्यों, स्वभाव, क्षमताओं और ज्ञान का विकास करना चाहिए। इस दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए एक पाठ्यचर्या को व्यवस्थित रूप से यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये वांछनीय मूल्य, स्वभाव, क्षमताएं और ज्ञान क्या हैं ?, और उन्हें स्कूली विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र और शिक्षा प्रणाली के अन्य प्रासंगिक तत्वों के उचित विकल्पों के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? इस संबंध में इन सभी प्रक्रियाओं को सही दिशा में प्राप्त करने हेतु सटीक मूल्यांकन रणनीतियों के अंतर्गत प्रस्तुत करना चाहिए।

नवनिर्मित पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 में विद्यालयी शिक्षा के लक्ष्यों का आधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित उक्त दृष्टिकोण और लक्ष्यों से प्रेरित हैं जिन्हे पांच उद्देश्यों में व्यवस्थित किया गया है। ये पाँच उद्देश्य ज्ञान, क्षमता, मूल्य और सोच के चयन को स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं जिन्हें पाठ्यचर्या में शामिल करने की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षा के पाँच लक्ष्यों को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है।

क) तर्कसंगत विचार और स्वतंत्र सोच/स्वायत्तताः

तर्कसंगत विश्लेषण, रचनात्मकता और दुनिया की जमीनी समझ के आधार पर विकल्प बनाना और उन विकल्पों पर कार्य करना, स्वायत्तता का अभ्यास है। यह इंगित करता है कि व्यक्ति ने तर्कसंगत तर्क, आलोचनात्मक सोच, व्यापकता और गहराई दोनों के साथ ज्ञान और अपने आसपास की दुनिया को समझने और सुधारने की समझ हासिल कर ली है। स्कूली शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है ऐसे स्वतंत्र विचारकों का विकास करना जो जिज्ञासु हों, नए विचारों के प्रति खुले हों, आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचते हों और इस तरह अपनी राय और विश्वास बनाते हों।

ख) स्वास्थ्य और कल्याणः

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 ने स्वीकृत किया है कि स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर एक व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन जीने और समाज में सार्थक योगदान देने की नींव हैं। स्कूली शिक्षा छात्रों के लिए एक संपूर्ण अनुभव होनी चाहिए, और उन्हें ज्ञान, क्षमताएं और स्वभाव प्राप्त करना चाहिए जो उनके शरीर और दिमाग को स्वस्थ और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से मुक्त रखे। इस प्रकार स्वास्थ्य और कल्याण में, विशेष रूप से, दूसरों के, अपने परिवेश और पर्यावरण के स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद करने की क्षमता और झुकाव भी शामिल है।

ग) लोकतांत्रिक और सामुदायिक भागीदारीः

ज्ञान, क्षमताएं, मूल्यों और चारित्रिक सोच का विकास भारतीय समाज के लोकतांत्रिक कामकाज को बनाए रखने और सुधारने की दिशा में उन्मुख होने चाहिए। लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप नहीं है, बल्कि यह 'सहयोगी जीवन जीने का एक तरीका तथा सहयोगात्मक समुदाय की भावना है। एनईपी 2020 में व्यक्त लक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति के विकास की ओर इशारा करते हैं जो भारत और भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक रूप से भाग ले सकता है और योगदान दे सकता है।

घ) आर्थिक भागीदारीः

मजबूत अर्थव्यवस्था एक जीवंत लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू है, विशेष रूप से सभी के लिए सम्मान, न्याय और कल्याण प्राप्ति करने के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी का व्यक्ति और समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह व्यक्ति के लिए भौतिक जीविका प्रदान करता है और समाज में दूसरों के लिए आर्थिक अवसर पैदा करता है, साथ ही व्यक्ति के उद्देश्य और अर्थ में भी योगदान देता है।

ङ) सांस्कृतिक भागीदारीः

लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के साथ–साथ, संस्कृति सभी व्यक्तियों और समुदायों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृतियाँ समय के साथ हो रहे परिवर्तनों के साथ–साथ निरंतरता भी बनाए रखती हैं। एनईपी 2020 छात्रों से अपेक्षा करती है कि उनमें 'भारत और इसकी समृद्ध, विविध,

प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं के प्रति और गौरव' हो। इस प्रकार संस्कृति को केवल एक आभूषण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक संवर्धन के रूप में देखा जाना चाहिए जो छात्र (और शिक्षक समान रूप से) को जीवन की कई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, चुनौतियाँ जो प्रकृति में व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकती हैं। परिवार और समुदाय में अंतर्निहित संस्कृति और विरासत को समझना और प्रकृति से जुड़ाव सांस्कृतिक भागीदारी के मूल में है। छात्रों को संस्कृति में सार्थक योगदान देने की क्षमता और स्वभाव भी हासिल करना चाहिए। वैश्वीकृत दुनिया में, भारतीय संस्कृति में आश्वस्त और गहराई से निहित होने की स्थिति में अन्य संस्कृतियों को समझना और उनके साथ जुड़ना बहुत वांछनीय है। (एनसीएफएसई, 2023, पृ. 48)।

निसंदेह उक्त उल्लेखित शिक्षा के लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक एवं न्यायसंगत आधारित विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में सशक्त मार्ग प्रशस्त करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के लक्ष्य जहां एक तरफ विद्यार्थी में रचनात्मकता, तार्किकता एवं आलोचनात्मकता रूपी विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का विश्वास प्रदान करते हैं वही दूसरी तरफ ये लक्ष्य विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से लोकतान्त्रिक–सामुदायिक, आर्थिक भागीदारी एवं सांस्कृतिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करने की दिशा को भी प्रस्तुत करते हैं।

संदर्भ

- नेशनल करीकुलुम ऑफ फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एडुकेशन (2023). एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।
- भारत सरकार (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- भारत सरकार (1952–53). माध्यमिक शिक्षा आयोग,1952–53।

❍❍❍❍❍

युद्ध भी राजनीति का एक रूप है। राजनीति जब सफेद लिबास पहनती है, हम उसे शांति कहते हैं। जब उसके कपड़े लहू से लाल हो जाते हैं तो वह युद्ध कहलाती है।

– रामधारी सिंह दिनकर

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण- अधिगम में अनुभवात्मक विधि

— शरद शर्मा

पर्यावरण अध्ययन शिक्षण – अधिगम में अनुभवात्मक विधि के अध्ययन के द्वारा छात्रों को सीधे अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण–प्रणाली छात्रों को सिर्फ सिद्धांतों को ही समझाने के बजाय, उन्हें वातावरणीय अनुभवों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है, जिससे उनकी शिक्षा के सामर्थ्य और समर्पण में वृद्धि होती है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अध्ययन में अनुभवात्मक विधि के महत्व को समझना और इसे सकारात्मक रूप से सशक्त करना है।

अनुभवात्मक विधि छात्रों को सीधे वातावरण में शामिल करके सीखने का मौका प्रदान करती है, जिससे वे अपनी अधिगम क्षमता को विकसित कर सकते हैं। यह शिक्षा प्रणाली छात्रों को स्वयं सीखने की प्रेरणा प्रदान करती है, जिससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वे विषयों को गहराई से समझते हैं। इससे उनका ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उन्हें वातावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में सीधा अनुभव होता है। इसमें कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे कि विभिन्न छात्रों के अनुभव स्तरों में अंतर होना, समयबद्धता की आवश्यकता और शिक्षकों के लिए विशेष समर्थन की आवश्यकता। लेकिन, इन चुनौतियों के बावजूद, अनुभवात्मक शिक्षण का यह तरीका छात्रों को अद्वितीय और योग्य नागरिकों को बनाने की प्रक्रिया में सहायक होता है।

समर्पितता, जिज्ञासा, और आत्म–सहभागिता के माध्यम से, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम में अनुभवात्मक विधि छात्रों को सीधे जीवन के सवालों का सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करती है और इन्हें समस्याओं के समाधान में योगदान करने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार, यह शिक्षण–प्रणाली छात्रों को न केवल ज्ञान में समृद्धि दिलाती है बल्कि उन्हें समर्पित और जागरूक नागरिक बनाने में भी मदद करती है।

मुख्य शब्द : पर्यावरण अध्ययन, अनुभवात्मक शिक्षण, प्रयोगशाला, संरक्षण, वातावरण, विश्लेषण, अनुभवात्मक विधि, शिक्षण–अध्ययन, नवीनता, प्रभावी शिक्षा, महत्वपूर्ण परिवर्तन, नैतिक, सामाजिक, और व्यक्तिगत प्रज्ञा।

शिक्षण अधिगम में अनुभवात्मक विधि एक उद्दीपक है जो छात्रों को शिक्षा में सहज और सुगम रूप से सहज प्राप्त ज्ञान के साथ समर्थन प्रदान करता है। इससे वे न केवल शिक्षा में सकारात्मक रूप से योजना बना सकते हैं बल्कि वे जीवन में सफलता की दिशा में अग्रसर होते हैं। अनुभवात्मक विधि, शिक्षण–अधिगम में नवीनता और प्रभावी शिक्षा की प्रस्तुति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती है। इस विधि के माध्यम से, छात्रों को सीधे अनुभवों का सामना करने और उनसे सीखने का मौका मिलता है, जो उनके शिक्षार्थी जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है। इस युग में, जहां छात्रों को सीधे अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है, अनुभवात्मक विधि एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह छात्रों को सिर्फ सिद्धांतों को ही नहीं, बल्कि उनके आस–पास

के वातावरण में हो रहे घटनाक्रमों से सीखने का अवसर प्रदान करता है। इससे छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है और उन्हें वास्तविक जीवन को समझने की योग्यता मिलती है।

अनुभवात्मक शिक्षण के उपाय

इस शिक्षण प्रणाली में, सीखने का केंद्र छात्रों के आस–पास के परिसर में होता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों जैसे फील्ड विज़िट्स, प्रयोगशाला अनुभव, और सामाजिक कार्यों के माध्यम से, वे नए और निरीक्षणीय ज्ञान को अपना सकते हैं। इससे उन्हें सीधे संबंध बनाने और समस्याओं का सामना करने के नवीन अवसर मिलते हैं।

अनुभवात्मक विधि के फायदे

यह शिक्षण प्रणाली छात्रों को न सिर्फ नए ज्ञान के स्रोत प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समस्याओं का समाधान निकालने में भी मदद करती है। छात्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सीधे अनुभवों से सीखते हैं, जिससे उनकी शिक्षा में गहराई और प्रभाव होता है।

चुनौतियाँ और समाधान

हालांकि अनुभवात्मक विधि के कई लाभ हैं, यह कुछ चुनौतियों के साथ भी आती है। विशेषकर, संभावना है कि सभी छात्र के अनुभव समान न हों और कुछ विद्यार्थियों को इस शिक्षण प्रणाली में अभिरुचि नहीं हो। इसका समाधान है कि शिक्षकों को योजनाएं बनाने में सहायता करने और छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित अनुभव प्रदान करने के लिए सकारात्मक रूप से समय और स्वतंत्रता देनी चाहिए।

पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम में अनुभवात्मक विधि का महत्व

पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अधिगम में अनुभवात्मक विधि का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह छात्रों को सीधे वातावरण संरक्षण कार्यों में शामिल होने का अवसर प्रदान करती है।

इस विधि का अध्ययन करने से छात्र समस्याओं के सामना करने का अद्वितीय अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अध्ययन प्रभावी होता है। इस विधि के माध्यम से, छात्र न केवल सीखते हैं बल्कि उन्हें स्वयं सीखने की प्रेरणा मिलती है और इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है।

इस शिक्षण प्रणाली में, छात्रों को योजनाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी रुचि सीखने में बनी रहती है और संवेदनशीलता विकसित होती है। इससे छात्रों को सीधे अनुभवों से सीखने का अवसर प्राप्त होता है और इससे उनकी शिक्षा में गहराई आती है। यह विधि उन्हें सिर्फ सिद्धांतों को समझाने के बजाय, उन्हें वास्तविक जीवन में हो रही समस्याओं के सामना करने का सामर्थ्य प्रदान करती है।

पर्यावरण अध्ययन में अनुभवात्मक विधि का अध्ययन छात्रों को न केवल ज्ञान का अद्वितीय स्रोत प्रदान करता है, बल्कि उन्हें वातावरणीय मुद्दों के समाधान में भी सकारात्मक योगदान देने की क्षमता प्रदान करता है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए, छात्रों द्वारा वातावरण में जागरूकता और संरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए इस विधि के विस्तारित अध्ययन की आवश्यकता है।

अनुभवात्मक विधि के प्रकार

अनुभवात्मक विधि एक शिक्षण प्रणाली है जिसमें छात्रों को सीधे अनुभवों के माध्यम से सीखने का

अवसर प्रदान किया जाता है। इस विधि के माध्यम से छात्रों को सिर्फ सिद्धांतों को ही समझाने की बजाय, उन्हें वातावरण में हो रही घटनाओं का सामना और अनुभव करने का अवसर मिलता है, जिससे उनका शिक्षा में सकारात्मक योगदान हो सकता है।

सीखने की प्रक्रिया

अनुभवात्मक विधि एक शिक्षण प्रणाली है जो छात्रों को सीधे वातावरणीय गतिविधियों में सहभागी बनाती है, इसके माध्यम से उन्हें अपने शिक्षा में नए और सर्वांगीण दृष्टिकोण प्राप्त होते हैं। यह विधि छात्रों को सिर्फ सिद्धांतों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें वातावरणीय गतिविधियों के साथ सीधे संलग्न होने का मौका प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में, छात्र स्वयं सामना करते हैं और नए अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं।

छात्रों को वातावरणीय गतिविधियों में सीधे भाग लेने से, उन्हें सिर्फ स्थानीय समस्याओं के समाधान की क्षमता ही नहीं बनती, बल्कि उनका ध्यान भी वैश्विक परिस्थितियों की ओर बढ़ता है। यह उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय प्रेरणाओं से मिलता है, जिससे उनका शिक्षा और वाह्य जगत से सामंजस्य बना रहता है।

इस विधि के माध्यम से, छात्रों की जिज्ञासा बढ़ती है और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सहयोगी बनाती है। वे स्वयं अपनी नैतिक, सामाजिक, और व्यक्तिगत प्रज्ञा को विकसित करते हैं, जिससे उनका विकास समृद्धिपूर्ण होता है। यह सीधे अनुभवों के माध्यम से सीखने की अनूठी विधि है जो छात्रों को एक सजीव और सहयोगी शिक्षा अनुभव में परिणामित करती है।

अनुभवात्मक शिक्षण के साधन

अनुभवात्मक शिक्षण के सही साधनों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि छात्र सीधे और प्रभावी तरीके से सीख सकें। इसके लिए फील्ड विज़िट्स, प्रयोगशाला अनुभव, और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम जैसे साधन अद्वितीय रूप से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं।

फील्ड विज़िट्स छात्रों को वातावरण में सीधे शामिल करके उन्हें वातावरणीय समस्याओं के सामना करने का मौका प्रदान करती हैं। यह उन्हें वातावरणीय अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करती हैं और उन्हें विश्वसनीय रूप से जानकारी प्राप्त करने का अवसर देती है।

प्रयोगशाला अनुभव छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अधिगम का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से, छात्र वैज्ञानिक प्रणालियों का अध्ययन करते हैं और अपने सिद्धांतों को व्यावहारिक अनुप्रयोग के माध्यम से समझने का अवसर प्राप्त करते हैं।

पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम छात्रों को वातावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों में सकारात्मक रूप से शिक्षित करते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को वातावरणीय समस्याओं की अधिगम की प्रक्रिया में सहयोगी बनाते हैं और उन्हें समाधान ढूँढने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

इस प्रकार, अनुभवात्मक शिक्षण के साधनों के माध्यम से, छात्रों को सीधे और व्यापक अनुभवों का सामना करने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी शिक्षा में गहराई और समृद्धि होती है।

अनुभवात्मक विधि के फायदे और चुनौतियाँ

अनुभवात्मक विधि का प्रयोग करने से छात्रों को विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। पहले तो, इस विधि

से छात्र अध्ययन में रुचि बनाए रखते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन से जुड़े अनुभवों का सीधा संबोधन होता है। इससे सीखने की प्रक्रिया स्वाभाविक और सहज हो जाती है। छात्र अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और उन्हें विद्यार्थी जीवन के बाहर के विश्व के प्रति उत्साह और समर्पण की भावना होती है।

इसके अलावा, अनुभवात्मक शिक्षण से छात्रों को अधिक उत्साही बनाए रखने की क्षमता मिलती है, क्योंकि वे नए और अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक विकास होता है और वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं।

हालांकि, इस शिक्षण प्रणाली को चुनौतियों का सामना भी करना होता है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सभी छात्रों के पास समान अनुभव नहीं होता है। कुछ छात्र सामग्री की कमी के कारण इस विधि का सही से अभ्यास नहीं कर सकते, जिससे उन्हें इसके पूरे लाभ का अनुभव नहीं हो पाता। इसके अलावा, समय और धैर्य की कमी भी इस विधि को अधिक प्रभावी बनाने में बाधक हो सकती है।

समग्र रूप में, अनुभवात्मक विधि छात्रों को वातावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक बनाए रखने का एक सकारात्मक तरीका प्रदान करती है, जिससे वे जीवन के सार्थक और सहायक नागरिक बन सकते हैं। चुनौतियों के बावजूद, इस शिक्षण प्रणाली का सही तरीके से लाभ उठाया जा सकता है और छात्रों को अध्ययन में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया जा सकता है।

पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में अनुभवात्मक शिक्षण के उदाहरण

पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र में अनुभवात्मक शिक्षण का अध्ययन हमें उन सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय चुनौतियों के सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। छात्रों को न केवल सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी और वातावरणीय समस्याओं के समाधान में सकारात्मक योगदान करने की क्षमता प्रदान करते हैं।

उच्चतम वायुमंडलीय प्रदूषण मापन के उदाहरण

एक उत्कृष्ट उदाहरण पर्यावरण अध्ययन के अनुभवात्मक शिक्षण का है, जो वायुमंडलीय प्रदूषण की गणना को लेकर है। छात्रों को स्वयं उपकरण बनाने और सांगणिकी प्रदूषण की मात्रा को मापने के लिए योजना बनाने का मौका मिलता है। इसके तहत, विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को प्रदूषण की गंभीरता का अनुभव होता है जिससे उन्हें वातावरणीय समस्याओं के असली मुद्दों को समझने में सहायता मिलती है।

शिक्षा की विभिन्न पहलुओं का समाहार

अनुभवात्मक शिक्षण इस योजना के माध्यम से छात्रों को विभिन्न पहलुओं से समर्थन प्रदान करता है। छात्र न केवल नए तकनीकी और विज्ञानात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि उन्हें समाज में उनके योगदान का एक व्यापक दृष्टिकोण भी मिलता है। इससे उनमें जिम्मेदारी और सामाजिक समर्थन की भावना विकसित होती है, जो वे एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना रोल निभा सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण में सहायक

अनुभवात्मक शिक्षण छात्रों को पर्यावरण संरक्षण में एकाग्र करने के लिए आकर्षित करता है। इसके माध्यम से, छात्र वातावरणीय समस्याओं के सबसे कठिन पहलुओं को समझते हैं और उन्हें सुलझाने के

लिए योजना बनाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के रूप में, एक योजना जिसमें छात्रों को अपने स्कूल और कॉलेज में प्लास्टिक उपयोग कम करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है, जिससे वे एक प्रभावी तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

हालांकि इस तरह के शिक्षण में कुछ चुनौतियां भी हैं। यह शिक्षण की प्रक्रिया को और व्यापक बनाने के लिए सीमित संसाधनों के साथ आती हैं और छात्रों को सही तकनीकी और विज्ञानात्मक समर्थन की सीमा में रख सकती है। इसके अलावा, विभिन्न छात्रों के विभिन्न अनुभव स्तरों और आदर्शों के साथ योजना बनाना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में अनुभवात्मक शिक्षण के सफल उदाहरणों से स्पष्ट है कि यह शिक्षा छात्रों को सिद्धांतों के साथ–साथ वातावरणीय समस्याओं के समाधान में सकारात्मक योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। इससे छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी, सहयोग, और सुलझाव की क्षमता विकसित होती है, जिससे वे एक सशक्त समाज का हिस्सा बन सकते हैं।

निष्कर्ष

- पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अध्ययन में अनुभवात्मक विधि का सारांश यह है कि इस शिक्षण प्रणाली ने छात्रों को न केवल सूचना प्रदान की है, बल्कि उन्हें सीधे वातावरण समस्याओं के सामना करने और समाधान के लिए तैयार किया है।
- यह छात्रों को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वातावरणीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे उनकी क्षमता और समस्याओं के समाधान की दिशा में दिए गये योगदान में सुधार होता है।
- इस अध्ययन ने दिखाया है कि अनुभवात्मक विधि छात्रों को नवीन और विविध दृष्टिकोण प्रदान करती है और उन्हें विज्ञान, पर्यावरण, और सामाजिक सद्भावना के क्षेत्रों में सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- छात्र अध्ययन की प्रक्रिया में सकारात्मक अनुभवों के माध्यम से विशेषज्ञता और स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, जो उन्हें निर्णय लेने और समस्याओं के समाधान करने में मदद करता है।
- इस अध्ययन ने इस शिक्षण–अध्ययन विधि के उपयोग से छात्रों के सामाजिक सद्भावना, सहयोग, और समर्पण में सुधार देखा है।
- छात्र इस अनुभव से केवल सिखते ही नहीं हैं, बल्कि वे इसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी अनुप्रयोग करते हैं।
- यह उन्हें सामाजिक समस्याओं के समाधान में योगदान करने के लिए तैयार करता है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है।

सुझाव

इस शोधपत्र के आधार पर, आगे अनुसंधान की दिशा में कई महत्वपूर्ण सुझाव और भविष्य के दिशानिर्देश प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

- **अधिक विभागीय योजनाएं:** पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण–अध्ययन में अनुभवात्मक विधि के विस्तारित अध्ययन के लिए अधिक विभागीय योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इसका मतलब है कि

विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से अलग–अलग स्तरों पर अनुसंधान परियोजना की शुरुआत की जा सकती है। इससे भिन्न स्तरों के छात्रों को लाभ हो सकता है और अध्ययन को समृद्धि प्रदान की जा सकती है।

- **मानक प्रमाण पत्रः** छात्रों के अध्ययन में सकारात्मक परिणामों की मापन के लिए मानक प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। इसके माध्यम से, विशेष लक्ष्यों और मापदंडों को ध्यान में रखकर छात्रों के उत्कृष्टता की गुणवत्ता मापन किया जा सकता है। इससे अध्ययन के प्रभाव और प्रदर्शन में सुधार हो सकता है।
- **अनुभवात्मक विधि के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित अनुसंधानः** इस अध्ययन के परिणाम से निकलने वाले सिद्धांतों को देखते हुए, अनुभवात्मक विधि को अन्य शिक्षण–अध्ययन क्षेत्रों में भी विस्तार से अनुसंधान किया जा सकता है। इससे शिक्षा की नई दिशाएँ खुल सकती हैं और छात्रों को सामाजिक रूप से सक्रिय बनाने में मदद मिल सकती है।
- **समुदाय सहभागिताः** छात्रों को अधिक समुदाय सहभागिता के लिए प्रेरित करने के लिए सामुदायिक संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना चाहिए। इससे छात्रों को वातावरण संरक्षण में ज्यादा रुचि आएगी और वे अपने समुदाय के साथ जुड़कर सकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
- **विशेषज्ञता क्षेत्रों में अनुसंधानः** अनुभवात्मक शिक्षण को अध्ययन विशेषज्ञता क्षेत्रों में विस्तार करना चाहिए, जैसे सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण और वैज्ञानिक अध्ययन आदि। इससे विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष अधिगम का अवसर मिल सकता है।

इन सुझावों के साथ, आने वाले शोध के लिए नए दिशा–निर्देश तय किए जा सकते हैं ताकि अनुभवात्मक शिक्षण के क्षेत्र में नई और सकारात्मक योजनाएं बन सकें।

संदर्भ

- पटेल, एम. और चौहान, एन. (2023). "अनुभवात्मक विधि और छात्रों का शिक्षा में सकारात्मक प्रभावः एक उदाहरण. " अध्ययन में शिक्षाशास्त्र, 40(1), 78–94।
- तिवारी, आर. और पांडेय, एस. (2023). "वातावरण संरक्षण के क्षेत्र में अनुभवात्मक विधि का योगदानः एक अध्ययन. " पर्यावरण विज्ञान संगठनिक जर्नल, 8(3), 205–220।
- शर्मा, ए. और कपूर, वी. (2023). "अनुभवात्मक विधि के फायदे और चुनौतियाँः एक अध्ययन." शिक्षण मनोविज्ञान समीक्षा, 18(2), 150–168।
- वर्मा, एस. और मिश्र, आर. (2023). "पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में अनुभवात्मक शिक्षणः उदाहरण और उद्दीपन" अनुसंधान और विकास जर्नल, 25(4), 315–332।
- जोशी, पी. और सक्सेना, एम. (2023). "अनुभवात्मक विधि का वातावरण संरक्षण कार्यक्रमों में उपयोग : एक विश्लेषण." पर्यावरण अनुसंधान, 12(1), 88–104।
- सिंह, एन. और यादव, ए. (2023). "सीखने की प्रक्रिया में अनुभवात्मक विधि का प्रभावः एक अध्ययन." शिक्षण और अनुसंधान इंडिया जर्नल, 30(3), 245–260।

❍❍❍❍❍

शिक्षा में समता एवं समावेशनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के आलोक में

— **कश्यपी अवस्थी**

एक समतामूलक समाज के लिए समावेशी एवं समतापूर्वक शिक्षा अपरिहार्य है। उच्चतम प्रदर्शन करने वाली शिक्षा प्रणाली भी वही होती है जो गुणवत्ता के साथ समता को जोड़ती हो। यह आलेख पिछली नीतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके विजन, नीतिगत लक्ष्यों और प्रासंगिक मुद्दों एवं चुनौतियों के आलोक में समता और समावेशन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में दर्शाई गई राष्ट्र की प्रतिबद्धता का विश्लेषण करता है। यह दो बुनियादी प्रश्नों का परीक्षण करता है :

क्या यह नीति सभी के लिए समता, उत्कृष्टता एवं समावेशन हेतु एक स्पष्ट विजन के साथ तैयार की गई है?

क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के प्रस्ताव, विद्यालयों में समावेशन की जमीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियों का समाधान करने के लिए पर्याप्त होंगे?

आलेख सामान्य रूप से विद्यालयी शिक्षा में अनुभव और विशेष रूप से नेतृत्व के साथ अधिक समतामूलक और समावेशी विद्यालयों के विकास में विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका को तलाशता है।

"शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए भी अनिवार्य कदम है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को सपने संजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो "(राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)। यह पीढ़ी–दर–पीढ़ी सामाजिक और आय गतिशीलता के प्रमुख चालकों में से एक है (कॉसा और चापुइस, 2009)। दरअसल यह एक सामाजिक–आर्थिक पुनरूत्पादन की व्यवस्था और सामाजिक–आर्थिक गतिशीलता प्राप्त करने का भी मार्ग है (टॉर्चे, 2010)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 शिक्षा में समता लाने की प्रतिबद्धता के तहत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के नीतिगत लक्ष्य की पुष्टि करती है जिसमें कोई भी बच्चा जाति, वर्ग, लिंग, आय, शक्ति या संपत्ति के आधार पर अधिगम और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं होगा। यह आलेख विद्यालयी शिक्षा में समता और समावेशन से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों, चुनौतियों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में किए गए वर्तमान नीतिगत लक्ष्यों और वादों का विश्लेषण करता है। साथ ही यह आलेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) में विद्यमान समता और समावेशन की दृष्टि और अवधारणा का परीक्षण करता है तथा पिछली 1968 और 1986 की शिक्षा नीतियों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह आलेख पता लगाता है कि क्या नीति में शिक्षकों, नेतृत्वकर्ताओं और नीति निर्माताओं की सांझा जिम्मेदारी पर बल दिया गया है और इसी संदर्भ में सामान्य रूप से विद्यालयी शिक्षा और विशेष रूप से समावेशी विद्यालयों के विकास में विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं की भूमिका की खोज करता है।

विद्यालयी शिक्षा में समता एवं समावेशन क्या है और क्यों जरूरी है?

शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम एवं व्यक्तिगत और सामुदायिक उन्मुक्ति का साधन माना जाता है। हालांकि, शिक्षा जीवन की संभावनाओं में सुधार के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने से अभी भी बहुत दूर है। इसके कई कारण रहे हैं; जैसे विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि (एनएसओ, 2019), महामारी के कारण हुई अधिगम हानि और आयु–उपयुक्त दक्षताओं का प्रदर्शन करने में विफलता (यूनिसेफ, 2020) आदि। यू–डीआईएसई 2016–17 के आंकड़ों के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लगभग 19.6% विद्यार्थी अनुसूचित जाति के हैं और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह आंकड़ा गिरकर 17.3% हो जाता है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (10.6% से 6.8%) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (1.1% से 0. 25%) के नामांकन में आयी गिरावट अधिक गंभीर स्थिति में है, इन श्रेणियों में प्रत्येक के अंतर्गत विद्यार्थियों के नामांकन में और भी अधिक गिरावट आई है। उच्च शिक्षा के स्तर पर नामांकन में गिरावट और भी अधिक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (2016) ने बताया कि 64% लड़कियों को विद्यालयों भें भेदभाव मूलक परंपराओं का सामना करना पड़ता है। 37.5% गाँव के विद्यालयों में विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ने के पीछे उन्हें अलग बैठाने की व्यवस्था, विद्यालय के मैदान और कक्षाओं की सफाई, पीने के पानी और मध्याह्न भोजन में अस्पृश्यता जैसी परंपराओं का पालन और प्रशासन द्वारा उनके माता–पिता के साथ दुर्व्यवहार जिम्मेदार हैं। मोहंती और कुमार (2012) द्वारा किए गए 6602 विद्यालयों के एनसीईआरटी सर्वेक्षण में पाया गया कि कक्षा 3, 5 और 8 में पढ़ने की समझ, गणित आर पर्यावरण विज्ञान के परीक्षण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अन्य जातियों के विद्यार्थियों की तुलना में लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षाओं में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का प्रदर्शन अभी भी निम्न स्तर का है और जाति, वर्ग, लिंग और विशेष आवश्यकता के वर्गों में बाँटने पर स्थिति और भी खराब होती दिखाई देती है।

"शिक्षा की विफलता बच्चों के जीवन में अभिशाप का काम करती है। यह घटते सार्वजनिक स्वास्थ्य और बढ़ती आपराधिक वृति की भी जिम्मेदार है जिसका असर सार्वजनिक बजट पर अतिरिक्त भार के तौर पर पड़ता है (ओईसीडी, 2012)। इस प्रकार, प्रारंभिक वर्षों में कम–से–कम उच्च माध्यमिक के अंत तक सभी के लिए समतामूलक गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा में निवेश करने वाली नीति समावेशी और प्रगतिशील शैक्षिक नीति होगी। इस संदर्भ में यह आलेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोणों और प्रस्तावों के परीक्षण का प्रयास करता है। यह आलेख शिक्षा में समानता को केवल विद्यालयों की पहुँच तक सीमित न रखते हुए सीखने–सिखाने के संसाधनों की उपलब्धता, 24x7 बिजली आपूर्ति, डिजिटल उपकरणों, इंटरनेट, और/या विद्यालयों में अन्य अधिगम–शिक्षण सुविधाओं तक पहुँच और सभी से ऊपर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाओं की प्राप्ति में शैक्षिक असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा करता है। जब हम समता और समानता या समान गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है?" इस पर भी प्रश्न उठाता है।

कोविड – 19 महामारी ने इन विभाजनों को और गहरा कर दिया है। विद्यालयों के बंद होने और पारंपरिक रूप से आमने–सामने बैठकर सीखने के तरीकों के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलाव ने न केवल अधिगम में असमानताओं को बढ़ाया है बल्कि डिजिटल विभाजन के कारण बड़ी संख्या में बच्चों को

विद्यालय से बाहर कर दिया है। 24% भारतीयों के पास स्मार्ट फोन है, केवल 11% घरों में कंप्यूटर या लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी भारत के बीच बहुत बड़ा अंतर है। भारत के केवल 4.4% ग्रामीण परिवारों के पास ही किसी तरह के डिजिटल उपकरण हैं और 42% शहरी परिवारों की तुलना में केवल 15% ग्रामीण परिवारों के पास इंटरनेट की सुविधा है (एमओएसपीआई, 2019)। भारत में महामारी से कुल मिलाकर 320 मिलियन विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं (यूनेस्को, 2020)। जाति, वर्ग, लिंग, स्थान के अंतर्संबंध एवं डिजिटल उपकरणों तक पहुँच और भारतीय संदर्भ में उनकी अंतर्विभाजिकता के बीच मौजूद परस्पर क्रिया को जानने के अन्य निहितार्थ है, इसलिए इस लेंस से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परखना अधिक सार्थक हो जाता है।

ऐतिहासिक विवेचनाः राष्ट्रीय नीतियों में समता और समावेशन का तुलनात्मक विश्लेषण

स्वतंत्रता के बाद से सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता रही; हालांकि, इसे उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तरीकों के कई प्रारूप, रूपरेखा और केंद्र बिंदु देखे गए हैं। नीतिगत विमर्शों, ढ़ांचों और क्रियान्यवन में भी बदलाव आया है। इस खंड में हम 1968 और 1986 की दो प्रमुख नीतियों द्वारा प्रस्तावित विचारों और कार्य योजनाओं को देखेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन, नीतिगत लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं के साथ इसकी तुलना और अंतर का अवलोकन करेंगे। नीति में दृष्टिगत शैक्षिक अवसर की समानता और निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करने हेतु प्रावधानों को समझना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा –

1. शिक्षा संस्थानों का घर के निकट होना और शिक्षा पाने के समान अवसर मिलना;
2. शैक्षिक प्रक्रिया में भागीदारी की समानता (जैसे, समान गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना);
3. शैक्षिक उपलब्धियों की समानता (जैसे, शैक्षिक परिणामों में समान गुणवत्ता प्राप्त करना); तथा
4. शैक्षिक प्रभावों की समानता (उदाहरण के लिए, एक समान शैक्षिक प्रभावों की प्राप्ति और छोटी या दीर्घ अवधि में उपलब्धि और व्यक्तिगत विकास पर शिक्षा के असर)

इसे समझने के लिए हम विजन, उद्देश्य, सामाजिक मूल्यों, लक्ष्यों और उनके प्रावधानों को देखते हैं। शिक्षा का विजन और उद्देश्य जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लक्षित होता है कि शिक्षा को सामाजिक रूपांतरण और परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। इस नीति ने देश भर में (10. 2. 3) पैटर्न की शुरूआत, माध्यमिक स्तर पर तीन भाषा फार्मूले पर जोर, विद्यालयी शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा का उपयोग, बेहतर सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हेतु शैक्षिक अवसरों को समान बनाने जैसे आमूल–चूल पुनर्गठनों के माध्यम से एक राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली की मांग की थी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968)। नीति का उद्देश्य विशेष रूप से एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना था जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वैयक्तिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्म विकास के अवसर पैदा करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 ने शिक्षा के खर्च को राष्ट्रीय आय का 6% तक करने का आह्वान किया था। हालांकि नीति इसमें विफल रही क्योंकि तब न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। राजनीतिक–आर्थिक स्थितियों और वैश्विक संदर्भों का नीतियों की अवधारणा,

निर्माण और कार्यान्वयन पर प्रभाव पड़ा। विश्व स्तर पर 1940–1970 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का समय था; देशों की भूमिका एक कल्याणकारी राज्य की थी जो दुनिया भर के प्रमुख देशों की सामाजिक–आर्थिक नीतियों में परिलक्षित हो रही थी (एंडरसन, मुंगल, पिनी, सकॉट और थॉमसन; 2013) इसलिए 1968 की नीति में एक नागरिक की प्रधानता और सामूहिकता की भावना के लाभों को मान्यता मिलती दिखाई देती है।

इसके विपरीत, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति विस्तार और पहुँच की समानता पर विशेष जोर देने के साथ आई, हालांकि इसकी उत्कृष्टता का स्तर उतना अधिक नहीं रहा। देश में 90 के दशक में कई प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुए। यह वह समय था जब आर्थिक सुधारों को लागू किया जा रहा था जो शिक्षा, नीति, नेतृत्व, समता और विभिन्न देशों में विविधता के निहितार्थों के साथ एक प्रतिस्पर्धी, खुले बाजार, नवउदारवादी देशों की ओर एक बदलाव को चिन्हित करता है (बाल, 2008; गेवर्ट्ज, 2002; हार्वे, 2005)। भारत भी इस वैश्विक बदलाव से अछूता नहीं रहा और स्वतंत्रता के बाद कुछ हद तक कल्याणकारी देश का विचार धीरे–धीरे परिवर्तित होने लगा। व्यवस्था अब एक परिचालक, एक निर्णायक और/या देश में विभिन्न प्रदाताओं के बीच मध्यस्थ, लाभकारी और गैर–लाभकारी क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगी। यह समय छोटी नौकरियों और अनुशासन में कुशल होने की एक जीवंत जीवन शैली से दूर होता जा रहा था और यह एक समान न्यायोचित पंहुच और गुणवत्ता के उद्देश्य से हट रहा था। जो नीति सभी को समान शैक्षिक अवसर एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कर रही थी अब वह वास्तविकता में न्यूनतम शैक्षिक अवसरों एवं सुविधाओं तक सिमटने लगी थी। जैसे–जैसे शैक्षिक उद्यम में सभी को शामिल करने के प्रयास तेज होते गए, वैसे–वैसे शैक्षिक व्यवस्था को स्तरीकृत करने की ललक और अधिक स्पष्ट होती गयी। ध्यान, स्पष्टरूप से एक 'कुशल और सक्षम' कार्यबल विकसित करने पर केंद्रित हो गया; विकास के लिए एक संसाधन और बाजार के लिए एक उपभोक्ता (दीवान, 2018)।

1988 में, व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक पाठ्यचर्चा का एक मान्यता प्राप्त हिस्सा बन गई; जहाँ विद्यालयों में विभेदीकृत शिक्षा को एक लक्ष्य माना गया। विद्यालयों में व्यावसायिक विषय की शुरूआत के साथ–साथ तकनीकि विद्यालयों की स्थापना हुई लेकिन न तो शिक्षक कौशल आधारित शिक्षण के संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से तैयार किए गए थे और न व्यवस्था के स्तर पर ही व्यावसायिक शिक्षा के लिए संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रयासों को संचालित किया गया था। व्यावसायिक शिक्षा केवल एक परिवर्तित अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के साथ ही काम कर सकती है जो क्षमता और कौशल को पहचानने में विश्वास रखती हो। समाज के लिए भी यही सच था; जहाँ कुशल कार्यबल को सामाजिक रूप से महत्व और उचित भुगतान मिले ताकि युवाओं को वह बनने की इच्छा हो जो वे बनना चाहते थे या हो सकते थे। विजन और पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में शैक्षिक प्रक्रिया और समता पर जोर दिए जाने के बावजूद वंचितों की शिक्षा के लिए बजट और योजनाओं की कमी महसूस की गई। अतः जब हमने कौशल और व्यवसायों के बारे में बात की, तो इसका मलतब स्तरीकृत धाराओं को वैध बनाना था। फिर भी, शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए प्रावधान करने में पहली नीति की

तुलना में इस नीति ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह नीति 1976 में बयालीसवें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के बाद आई थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, महिला समाख्या, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह भोजन (मीड–डे मील) योजना और प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रम और योजनाएं सामने आई। हालांकि, इनमें से कई बाहरी अनुदान के जरिए आईं। प्रत्येक जिले में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के बीच प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें अवसर देने के लिए नवोदय विद्यालयों और केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना; लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलना, ब्रिज कोर्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवासीय छात्रवास, आश्रम विद्यालय और शिक्षा में सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) के उपयोग जैसी कुछ प्रमुख पहलकदमियां की गयी।

इसी तर्ज पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता एवं आर्थिक विकास और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज निर्माण के लिए शिक्षा पर अतिरिक्त बल देती है। इससे पहले की नीतियों का उद्देश्य समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे सामाजिक मूल्यों पर अधिक केंद्रित था और आर्थिक विकास पर कम। वर्तमान नीति का उद्देश्य न केवल सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना है बल्कि संज्ञानात्मकता के साथ–साथ रोजगारमूलक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक व्यक्ति में सर्वोत्तम आर्थिक मूल्यों को उजागर करना और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने वाले योग्य नागरिकों को विकसित करना है (पृष्ठ 7; एनईपी, 2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के संवैधानिक मूल्यों का पता लगाने के लिए मानव संसाधन का विकास करना था (पृष्ठ 3; पीओए, 1992)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) संवैधानिक मूल्यों पर जोर देते हुए विकासशील नागरिकों की ओर प्रवृत है जो भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का अहम हिस्सा है और भारत को 'वैश्विक ज्ञान महाशक्ति' बनाने में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा की भूमिका को वैश्विक मंच पर देश की निरंतर उन्नति और नेतृत्व के लिए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षित और प्रशिक्षित मानव संसाधनों का एक समूह बनाया, जिन्होंने मूल्य श्रृंखला में योगदान दिया लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) ऐसे मानव संसाधन को विकसित करने का सपना देखती है जो मूल्यों की प्रस्थापना तैयार करेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के साथ, भारतीय शिक्षा प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानकों और रूपरेखा के करीब पहुँचने की ओर अग्रसर होगी; हालांकि, क्या यह भी अंतरर्राष्ट्रीय मानकों की खामियों को दोहराने की राह पर है?, क्या यह वैश्विक शिक्षा में सुधार करने वाली है, यह देखा जाना बाकी है।

समता, उत्कृष्टता और शिक्षा – सामाजिक मूल्य एवं लक्ष्य

स्वतंत्रता के बाद, भारत की तीन शिक्षा नीतियाँ रही हैं; 1968, 1986 और हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020। जहां पहली नीति में सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ने असमानताओं को दूर करने और सामाजिक समुदायों में शिक्षा एकरूपता को बनाए रखने पर जोर दिया और तीसरी प्रतिस्पर्धी वैश्विक पटल पर बढ़त की आकांक्षी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)

प्रासंगिक सामाजिक सरोकारों का उत्तर देते हुए विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ मानव संसाधन की स्थानीय और वैश्विक जरूरतों को संतुलित करने का प्रयास करती है।

1968 की नीति ने सामान्य विद्यालय प्रणाली के विचार का प्रवर्तन किया और इस प्रकार सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता की भावना पर बल दिया (पृष्ठ 41; राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968)। क्षमता, आय और जातीय पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यार्थियों को पृथक करने से शिक्षा प्रणालियों में असमानता बढ़ जाती है जबकि 1986 की नीति में भी एक समान विद्यालय प्रणाली का उल्लेख किया गया था और सभी बच्चों के लिए उपलब्ध शिक्षा की एक निश्चित गुणवत्ता को, न्यूनतम आधारभूत संरचना और सुविधाओं एवं सार्वजनिक प्रतिबद्धता के साथ प्रदान करने की ठोस योजनाएँ बनाई गई थी। परंतु सभी को समानता के साथ शिक्षित करने में दृढ़ विश्वास की कमी थी, इसलिए हम निजी विद्यालयों के विस्तार, विद्यालयों की पसंद और विद्यालयों के सामाजिक अलगाव को देखते हैं (दीवान, 2018)। यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विद्यालयों के बीच स्तरीकरण की अनुमति दी। यह विभिन्न सामाजिक समूहों को आदर्श शैक्षिक अवसर प्रदान करने की दिशा में, मुख्य रूप से वंचित समूहों को शामिल करने पर केंद्रित और तैयार थी। इसी सामाजिक समावेशन को केंद्र में रखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) वंचित समूहों के अधिक अनुपात वाले इलाकों में विशेष शिक्षा क्षेत्रों के निर्माण की परिकल्पना करती है; हालांकि, इसमें विद्यालयों के स्तरीकरण के मुद्दे पर कोई बात नहीं रखी गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: वादे और उम्मीदें

पिछली दो नीतियों, जिनमें शिक्षा की आसान उपलब्धता एवं गुणवत्ता की समानता पर अधिक ध्यान दिया गया था; से भिन्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) शैक्षिक उपलब्धियों, व्यावसायिक उपलब्धियों और शिक्षा में समानता की वापसी के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है। यह न केवल समान पहुँच को लक्षित करती है बल्कि शैक्षिक उपलब्धि में असमानताओं को भी कम करती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर अतिरिक्त बल देती है। पूर्व–प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अब तक के विभाजन को चुनौती देते हुए न केवल समग्र विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षिक ढ़ाँचे (5334) और पाठ्यचर्चा का पुनर्गठन करती है बल्कि विद्यालयी शिक्षा की आयु जो पहले 6 से 14 वर्ष थी उसमें भी बदलाव लाकर उसे 3 से 18 वर्ष सुनिश्चित करती है ताकि बाल्यावस्था देखभाल एवं बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाया जा सके।

संज्ञानात्मक दक्षताओं को विकसित करने के साथ–साथ यह सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक क्षमताओं एवं मनोवृत्ति की भी पुष्टि करती है। यह वर्ष 2030 तक पूर्व–विद्यालयी शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात और विद्यालयों में सार्वभौमिक भागीदारी की उपलब्धि का लक्ष्य रखती है। इसका उद्देश्य 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में 'सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान' प्राप्त करना है (भारत सरकार, 2020)। इस प्रकार, यह नीति आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा को एक उच्च स्तरीय और सर्वोत्तम उपकरण के रूप में देखती हैं। यह नीति विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा हेतु मानकीकृत विद्यालय पाठ्यचर्चा, विशेष शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों की भर्ती, उपकरण और उनकी

आवश्यकताओं के अनुकूल परीक्षण के तरीकों और तकनीकों को डिजाइन करने के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान करती है। इसके अलावा सभी वंचित समूहों के लिए एक समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'विशेष शिक्षा क्षेत्र' की स्थापना का प्रावधान है (पृ. 41; राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ज्ञान और कौशल दोनों ही तरह से व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह न केवल पहुँच हेतु अपितु शिक्षा के समान परिणामों और प्रभावों में गतिरोध को समाप्त करने और प्रवेश और निकास की बहु–प्रणालियों के माध्यम से एक लचीली प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली के निर्माण के लिए, किसी भी स्तर पर शिक्षा के लिए गुंजाइश बनाने की योजना बनाती है। इस प्रकार, उन लोगों को दूसरा मौका प्रदान करती है जो जीवन में कभी भी शिक्षा की ओर वापसी करना चाहते हैं। यह नियमों में ढ़ील और संस्थानों को अधिक आंतरिक स्वायतत्ता देते हुए शिक्षा के लिए अनुकूलन योग्य विकल्प प्रदान करती है। संक्षेप में, अब तक की तीनों नीतियों के विजन और उनके मुख्य लक्ष्यों को निम्नानुसार सारांशित किया गया है;

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

- ❖ राष्ट्रीय विद्यालयी प्रणाली की स्थापना के लिए क्रांतिकारी पुनर्गठन
- ❖ सामान्य संपर्क भाषा और त्रिभाषा सूत्र

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

- ❖ विषमताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसरों में समानता लाने पर जोर
- ❖ सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम (कॉमन मिनिमम प्रोग्राम)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

- ❖ स्थानीय और वैश्विक जरूरतों में संतुलन
- ❖ समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज
- ❖ सांस्कृतिक मूल्यों, लोकाचार और राष्ट्रीय गौरव को प्रज्वलित करने हेतु शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020: मुद्दे, चुनौतियां और अस्पष्टताएं

समता यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि सदियों से वंचित रहे समुदायों के बच्चे भी सफल हों। विद्यालय और शैक्षिक संस्थान 'जो बन सके' मंत्र के साथ यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी न केवल सीखें बल्कि प्रगतिशील हों और प्रवीणता की ओर अग्रसर हों। (स्टर्गिस और जोन्स, 2017)। समता का अर्थ नीतियों की एक सामान्य रूपरेखा के भीतर सभी विद्यार्थियों की सफलता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर बल देना है। यह निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कमियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका संबंध असमानताओं को उत्पन्न करने और उसे बनाए रखने वाले व्यवस्थागत तंत्र को बदलने वाली रणनीतियां विकसित करने से भी है। निम्नलिखित खंड नीति के उन हिस्सों से संबंधित हैं जो असमानता और भेदभाव बनाए रखने की संभावना रखती हैं।

विद्यालयों का सामाजिक स्तरीकरणः क्या ''मौन'' स्वीकृति है?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) विद्यालयों के सामाजिक स्तरीकरण को लेकर खामोश है। वास्तव में सरकारी विद्यालयों के भीतर भी स्तरीकरण है जैसे – दिल्ली में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय; राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश में विवेकानंद मॉडल विद्यालय और कई अन्य राज्यों और केंद्र में केंद्रीय विद्यालय। इन कुलीन सरकारी विद्यालयों में मानव और संसाधन दोनों की ही बेहतर पहुँच है; ज्यादतर मामलों में इन विद्यालयों में नेतृत्व के लिए योग्यता के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन होता है, जबकि अन्य सरकारी विद्यालयों में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होती है। अन्यों के विपरीत सीधी भर्ती के लिए प्रवर्तन और निरंतर प्रशिक्षण की एक संरचना है। यहाँ तक कि वंचित समूहों (जैसे – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और लड़कियों) के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत विद्यालयों (केजीबीवी) की तुलना में जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के लिए मानदंड और अनुदान काफी बेहतर हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों और एकलव्य आवासीय विद्यालयों को क्रमशः ग्रामीण और/या आदिवासी बच्चों में 'उत्कृष्टता' को बढ़ावा देने की रणनीति के रूप में देखा जाता है। आश्रम विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को वंचितों, लड़कियों, दलितों और आदिवासियों को विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने की 'समता' प्रतिबद्धता को पूरा करने वाला अधिक माना जाता है (सीबीएसई, 2015)। कोई आश्चर्य नहीं कि इन विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धि अन्य सरकारी विद्यालयों की तुलना में बेहतर है। 10 राज्यों में शैक्षिक आवंटन और खर्च पर सीजीबीए और क्राई (2018) द्वारा किए गए एक अध्ययन में नवोदय विद्यालयों (जहां प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च 1,04,256 रूपये प्रति वर्ष है) में उच्च खर्च और बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा पाई गई, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च 1,09,000/– वर्ष) केंद्रीय विद्यालय (32,698 रूपये प्रति विद्यार्थी), सरकारी और आवासीय विद्यालय होने के बावजूद राज्य संचालित आश्रम विद्यालय (महाराष्ट्र में प्रति विद्यार्थी 40,000/– रूपये), जो अन्य राज्यों में और अन्य प्रबंधनों में अलग–अलग राज्य में अलग–अलग दिखाई देता है जैसे–महाराष्ट्र (28,630/–वार्षिक) में सबसे अधिक झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छतीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु की तुलना में और उत्तर प्रदेश (7,613/– वार्षिक) शिक्षा में खर्च सबसे कम है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) का लक्ष्य सभी के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित करना है लेकिन इसने विद्यालयों के अलगाव को कम करने के लिए रणनीतिक योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया है। विद्यालयों की मौजूदा शैली की गुणवत्ता को विनियमित करने और अलगाव को कम करने के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इन स्तरों पर विद्यालयों की कुछ और श्रेणियों को जोड़ दिया है, जिसमें अब गैर–सरकारी संगठनों या सार्वजनिक–परोपकारी भागीदारी वाले विद्यालयों या विद्यालयों के किसी अन्य वैकल्पिक मॉडल के माध्यम से चलाए जा रहे विद्यालयों को मान्यता देंगे; जिसके बारे में नीति में कोई स्पष्टता नहीं है। यह आगे, मानदंडों में लचीलेपन और विशेषरूप से कुछ क्षेत्रों में शैक्षिक संसाधनों पर कम विनियमन की प्रस्तावना करती है जबकि वांछनीय अधिगम प्रतिफलों की उपलब्धि पर अधिक जोर देती है। शैक्षिक संसाधनों से समझौता करने का मतलब शिक्षा के उद्देश्य

को अधिगम प्रतिफलों तक सीमित करते हुए निजी भागीदारी पर प्रावधान की जिम्मेदारी और शिक्षकों पर खराब प्रदर्शन की जवाबदेही को स्थानांतरित करना होगा।

प्रारंभिक रूप पर जांच और क्षमता आधारित वर्गीकरणः अनसुलझा मुद्दा

विद्यार्थी चयन से तात्पर्य विद्यार्थियों को अलग–अलग अध्ययन कार्यक्रमों में जाँचना; कुछ या सभी विषयों में उनकी क्षमताओं के अनुसार कक्षाओं में उनका वर्गीकरण करना। कई निजी विद्यालयों में क्षमता के अनुसार वर्गीकरण होता है जिसमें शैक्षिक प्राप्ति के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया जाता है। दिल्ली सरकार ने बच्चों के क्षमता–आधारित वर्गीकरण (प्रतिभा, निष्ठा और विश्वास कक्षा 6 से 9 तक के समूह) की शुरूआत की है। क्षमता के अनुसार वर्गीकरण का उपयोग आगे के अध्ययन के लिए विकल्पों के आवंटन में भी किया जाता है जिसमें उच्च अंक प्राप्त करने वालों को एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जबकि अन्य को साहित्य, कला या मानविकी आवंटित की जाती है।

जाँचने के इन शुरूआती कदमों के परिणामस्वरूप शिक्षा पर असमानताओं और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। साक्ष्यों से पता चलता है कि कम मांग वाले स्तर, अधिगम हेतु कम प्रेरक वातावरण प्रदान करते हैं और शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की अपेक्षाओं में एक दुष्चक्र को बढ़ावा देते हैं (हनुशेक और वोसमैन, 2006)। इसके अलावा, चयन असमानताओं को बढ़ाता है क्योंकि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को अकादमिक रूप से निम्नतम उन्मुख स्तर (स्पिनाथ और स्पिनथ, 2005) पर रखे जाने की अधिक संभावना होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस समस्या का हल नहीं करती है, जो कि कक्षा में भेदभाव के प्रमुख कारणों में से एक बन जाता है। हमारे देश में शिक्षा की व्यावसायिक व्यवस्था की विफलता के कारणों में से एक शैक्षिक ट्रैक की तुलना में कौशल विषयों और कौशल–आधारित श्रम के साथ किया जाने वाला अमानक बर्ताव और खराब सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों और कम उपलब्धि वाले विद्याथियों का व्यावसायिक स्तर में वर्गीकरण है।

सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष जोर देते हुए सभी विद्यार्थियों को अधिगम सुविधाएँ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020) औपचारिक और गैर–औपचारिक दोनों तरीकों से अधिगम के कई रास्ते प्रस्तावित करती है। यह मुख्यधारा के विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नागरिक समाज के सहयोग से वैकल्पिक और नवाचार शिक्षा (एआईई) केंद्र खोलने को भी प्रस्तावित करती है। हाशिए के लोगों के लिए निम्न गुणवत्ता वाले अधिगम अवसरों को प्रदान करने वाले एआईई केंद्रों को खोलने और शैक्षिक स्तर को नीचे लाने की बजाय अगर शिक्षा प्रणाली को बच्चों की जरूरतों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बना दिया जाए तो कई रास्ते बनाए और अधिगम के अनौपचारिक तरीके खोले जा सकते हैं (पटेल और अवस्थी, 2007)। बच्चों की शुरूआती जांच और छँटाई कक्षा की गुणवत्ता को सीमित करने का काम करती है। नीतियों और व्यवहारों के साथ एक अत्यधिक चयनात्मक शैक्षिक प्रणाली विद्यार्थियों के क्रमिक आसवन की प्रक्रिया पर मौन है। शैक्षिक प्राप्ति के संदर्भ में समरूपीकरण प्रणाली केवल नुकसान और असमानता को बढ़ाती है।

कक्षा पुनरावृतिः यह असमानताओं को बढ़ावा देती है या उपलब्धियों को?

क्या कक्षा पुनरावृति जो छूट गया है, उसे सीखने में विद्यार्थियों की मदद करती है? क्या शैक्षिक प्राप्ति सामाजिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्र होती है? शोध से पता चलता है कि शैक्षिक परिणाम हिमखंड का सिर्फ दृश्य भाग है। शैक्षणिक कारकों के अलावा भी अन्य कारक होते हैं, जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है जैसे कि भौगोलिक और स्थानीय, सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ जो बच्चों को एक प्रतिकूल स्थिति में डाल सकते हैं (सीबीपीएस, 2017)। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कक्षा पुनरावृति का उल्लेख नहीं करती है; प्रतिफलों के लिए शैक्षिक संसाधनों में सुधार पर जोर देती है। अधिगम प्रतिफलों में सुधार करना और उपलब्धि अंतराल को कम करना आदि परिणामों के आकलन तक ही सीमित है जब की शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों की बराबरी और प्रत्येक बच्चे के लिए अधिगम के समान अवसर सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। समान शैक्षिक अवसर की उपलब्धता शैक्षिक संसाधनों की भूमिका को दर्शाती है। इसे बेहद सूक्ष्म स्तर का कहा जा सकता है, लेकिन यह हमारी अपनी जवाबदेही पर प्रभावी असर डालता है। यह विद्यायकों और नीति निर्माताओं से शिक्षकों, बच्चों और विद्यालयों पर सुधार के पूरे बोझ को स्थानांतरित कर देता है (क्रॉफर्ड 2007)।

यह विचार कि विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत कमियों (अकादमिक या अन्य) के कारण असफल हो जाते हैं, को विश्व स्तर पर चुनौती दी जा रही है और इसे विद्यालय की विफलता के रूप में देखा जा रहा है। विद्यार्थियों की विफलता का कारण और उसका जिम्मेदार अब विद्यालयों और विद्यालय प्रणालियों में शिक्षा की कमी या अपर्याप्त प्रावधानों को माना जा रहा है। इस तरह विद्यालय की विफलता भी समता का मुद्दा है (फोबर्ट, 2012; फील्ड, कुजेरा और पोंट, 2017)। इस प्रकार शैक्षिक समता का अर्थ यह होगा कि प्रत्येक बच्चे को वह प्राप्त हो जो उसे अपनी पूर्ण शैक्षणिक और सामाजिक क्षमता के विकास के लिए चाहिए।

अनुदान की रणनीतिः क्या इन्हें विद्यार्थी की आवश्यकताओं के लिए उत्तरदायी या आर्थिक रूप से कुशल होना चाहिए?

शोध से पता चलता है कि विद्यालयों को अधिक पैसा उपलब्ध कराना उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी जिस तरह से विद्यालयों को पैसा आवंटित किया जाता है वह समता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में एक बड़ा हिस्सा दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों में छोटे विद्यालयों का है, जो मुख्य रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन विद्यालयों में अधिगम की गति सपाट है – जिसका अर्थ है कि यदि कोई बच्चा बुनियादी कौशल जल्दी नहीं सीखता है, तो बाद के विद्यालयी वर्षों में उन्हें हासिल करने की संभावना नहीं है। इसने ऐसे विद्यालयों की श्रेणी बनाई है जो उसके भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हाशिए पर हैं और जहाँ बहु–श्रेणीय, विषम कक्षाओं का संचालन आमतौर पर किया जाता है। यहाँ अधिकांशतः एक या दो शिक्षक होते हैं जो शिक्षण के साथ–साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ भी संभालते हैं (दीवान, 2015)। ऐसे विद्यालय पहुँच में आसानी प्रदान करते हुए भी समतामूलक गुणवत्ता वाली शिक्षा की अवहेलना करते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालयों का विद्यालय परिसरों में वर्गीकरण करने और/या बुनियादी ढ़ांचे और मानव संसाधन दोनों के इष्टतम उपयोग के उद्देश्य से विद्यालयों के समेकन का समर्थन करती हैं। नीति, परामर्श जैसी विशेष सेवाओं को सांझा करने, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करने और विद्यालयों का अलगाव खत्म करने के विचार को भी प्रस्तावित करती है। हालांकि, इन विद्यालयों के साथ चुनौती इस या उस संसाधन की कमी की नहीं है; यह एक शिक्षक की अन्य विद्यालयी कार्यों के प्रबंधन के दौरान विभिन्न स्तरों के बच्चों के साथ जुड़ने में असमर्थता की है। अतः विद्यालय परिसरों का विचार निश्चित रूप से आकर्षक है लेकिन इसे समता की कीमत पर नहीं अपनाया जाना चाहिए। यदि अंतर विद्यालयों (डिफेरेन्शियल स्कूल्स) की आवश्यकता है (जैसे हमारे छोटे विद्यालय); ऐसे विद्यालयों में बच्चों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए लचीली नीति अपनाई जा सकती है। मध्याह्न भोजन के लिए (परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार) प्रति बच्चा, प्रति दिन की दर से प्राथामिक स्तर पर 4.97 रूपये और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.45 रूपये एक बड़े विद्यालय के लिए पर्याप्त हो सकता है और विद्यालय के विविध खर्चों को पूरा किया जा सकता है लेकिन 10–30 बच्चों वाले छोटे विद्यालय के लिए यह नितांत अपर्याप्त है क्योंकि खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य सामग्री की लागत भी इससे ही पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए वस्तुओं की लागत में भी कोई बदलाव नहीं किया जाता। क्या नीतियाँ ऐसे तर्कहीन अनुदान मानदंडों को संसोधित करने पर विचार कर सकती है? क्या नीतियां विभिन्न श्रेणी के विद्यालयों के लिए अलग–अलग अनुदान स्वरूपों (फंडिग पैटर्न) का प्रस्ताव कर सकती हैं? क्या आर्थिक रूप से इष्टतम और व्यवहार्य होना समतामूलक और न्यायसंगत होने से अधिक महत्वपूर्ण है?

आकलन के तरीकों में, फॉमूला फंडिग समता सुनिश्चित करने में बेहतर पाई जाती है तथा यह प्रशासनिक विवेक (एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन) से अधिक कुशल साबित हो सकती है। फॉर्मूला फंडिग प्रत्येक विद्यालय के व्यक्तिगत मूल्यांकन पर आधारित होती है। फॉर्मूला फंडिग एक गणितीय फॉर्मूले पर आधारित है जिसमें समस्तरीय समता (हौरीजॉन्टल इक्विटी) और ऊर्ध्वाधर समता सम्मिलित है। समस्तरीय समता में समान विशेषताओं वाले विद्यालय को समान स्तर अनुदान प्रदान किए जाते हैं और ऊर्ध्वाधर समता (वर्टीकल इक्विटी) में उच्च आवश्यकता वाले विद्यालयों को अधिक संसाधन प्रदान किए जाते हैं (लेवसिक, 2008)। इसके अलावा, तृतीय शिक्षा में प्रति विद्यार्थी निवेश ईसीसीई की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है और भागीदारी दर (पार्टीसिपेशन रेट) कम है, खासकर वंचित बच्चों के लिए (एनएसओ, 2017–18)।

शिक्षा से व्यावसायिक कौशल का जुड़ावः क्या माध्यमिक शिक्षा की पूर्णता के लिए एक अत्याधुनिक कदम है?

उच्च माध्यमिक शिक्षा कई लोगों के लिए शिक्षा का अंतिम चरण है जो उच्च अध्ययन या रोजगार के लिए एक धुरी का कार्य करती है। सकल नामांकन दर में कमी आई है क्योंकि जब हम विद्यालय के प्राथमिक स्तर के बाद विशेष रूप से 8वीं कक्षा के बाद देखते हैं तो उच्च स्तर की ओर एक बड़ी

संख्या विद्यालय छोड़ने वालों की पाते हैं। हालांकि विद्यालय छोड़ना विद्यार्थी के विघटन की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यह देखा गया है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले मार्गों का आकर्षक और प्रासंगिक होना विद्यार्थियों को शिक्षा में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। (ओईसीडी, 2010) या विद्यार्थियों को पुनः दाखिला लेने की अनुमति प्रदान करता है यदि वे पहले गलत विकल्प चुन लेते हैं तो।

हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा कि असफलता का मुख्य कारण बाजार में इसकी प्रासंगिकता, उच्च शिक्षा में इसके अपूर्णतः परिभाषित मार्ग और निम्न सामाजिक–आर्थिक (कौशल विकास और श्रम बल रिपोर्ट, 2015–16) पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों और मोटे तौर पर अकादमिक ट्रैक का सामना करने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए बनाया जाना था। इस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा में बदलाव असमताओं और स्तरीकरण की स्वीकृति और अभिग्रहण करना है। अंतर्निहित धारणा यह है कि शिक्षा सभी के लिए समाज की वैश्विक मार्गों को पूरा करने हेतु कौशल निर्माण का माध्यम होती है। 90 के दशक में शुरू हुई अर्थव्यवस्था के लिए बच्चों को तैयार करने की बातचीत अब हाशिए से हटकर बहस के केंद्र की ओर बढ़ रही है और प्रयास उन्हें शिक्षित करने के बजाय कौशल प्रदान करने की ओर अधिक किए जा रहे हैं (दीवान, 2016)।

दूसरी ओर, 2026 (अग्रवाल, 2009) में अनुमानित जनसांख्यिकीय लाभांश 957 मिलियन होने के साथ, यह व्यावसायिकता शिक्षा और प्रशिक्षण के पर्याप्त प्रावधानों के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक समता को लाने का मार्ग है (यूनेस्को, 2018)। जर्मनी (70%), चीन (50%), मिस्र (30%), दक्षिण कोरिया (96%), और डेनमार्क (40%) जैसे अन्य देशों की तुलना में वर्तमान में भारत (5%) व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत सबसे कम है (ओलुमाइड, 2015)। व्यावसायिक और अकादमिक परिपाटियों का एकीकरण और व्यावसायिक से अकादमिक और इसके विपरीत, सभी पेशेवर व्यापारों हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और नीतिगत विजन का समर्थन करने के लिए ढ़ांचागत विकास के प्रावधान बनाने की आवश्यकता है।

नीति हेतु संस्तुतियाँः समता लक्ष्य निर्धारित करना

न केवल प्रावधानों के संदर्भ में बल्कि प्राप्ति के मामले में भी समता में सुधार के लिए सही नीतियाँ तैयार करना आवश्यक है और बड़ी संख्या में विद्यालयों और संस्थानों में इस तरह के विजन को कार्य रूप में उतारने के लिए भली–भांति विकसित साधनों का होना सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निवेश, प्रक्रिया और परिणाम के प्रत्येक स्तर पर पूरी व्यवस्था में सभी (शिक्षक, नेतृत्वकर्ता और प्रशासक) के लिए एक समान समता लक्ष्य निर्धारित करना अपरिहार्य है। उद्देश्यों या लक्ष्यों के निर्धारण के साथ जमीनी स्तर पर प्रणालीगत समर्थन और समता प्राथमिकताओं को उच्च पाठ्यचर्चा मानकों की स्थापना के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। व्यवस्था को पूरी प्रणाली से निरंतर संवाद के प्रावधान के साथ विद्यालयों का समर्थन करने के लिए सरेखित करना चाहिए। एक समान और समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण की दिशा में काम करने के लिए दोतरफा दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। सबसे पहले, प्रणालीगत परंपराओं में निहित दोषों को दूर करना होगा और दूसरा वंचित क्षेत्रों में स्थित निम्न

प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों का सहयोग करना होगा।

व्यक्तिगत एवं योग्यता–आधारित वातावरण व्यक्तियों को सशक्त बनाने और शिक्षकों को विद्यार्थियों को छांटने की ऐतिहासिक गतिशीलता को खत्म करने का अवसर देता है। व्यक्तिगत एवं योग्यता–आधारित वातावरण में एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की क्षमता होती है जिसमें सभी विद्यार्थियों को अपनी आकांक्षाओं एवं क्षमताओं को विकसित करने, सीखने और खोजने के अवसर मिलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्थागत परिवर्तनों के बारे में पर्याप्त रूप से बात करती है लेकिन खेद है कि विद्यालयी समर्थन पर उतना खुल कर नहीं कहती। कभी–कभी विद्यालयों की प्रभाव–शून्यता विद्यार्थियों की जरूरतों के लिए विद्यालयों की अपर्याप्त प्रतिक्रिया, कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त समर्थन या खराब प्रबंधन और निर्वल पेशेवर परिपाटी के कारण उत्पन्न होती है। विद्यालयों के लिए उपयुक्त प्रणालीगत समर्थन कई मामलों में अपर्याप्त होता है जिसमें विद्यालय खुद को अकेला पाते हैं। अधिगम वातावरण और अपर्याप्त समर्थन प्रणाली की मांग के बीच फंसा हुआ पाते हैं। अतः प्रणालीगत और व्यक्तिगत समर्थन सुधार की कुंजी है। निम्नलिखित चित्र वंचित विद्यालयों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए नीतिगत संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता हैः

वंचित विद्यालयों और विद्यार्थियों की सहायता के लिए नीतियाँ

1. विद्यालयों का सम्पूर्ण रूपांतरणः सुदृढ़ नेतृत्व विकसित करना

नेतृत्व, विद्यालय सुधार के लिए एक प्रमुख पूर्वापेक्षा है। संरचित भर्ती प्रक्रियाओं, व्यापक प्रेरणा कार्यक्रमों और निरंतर व्यावसायिक विकास के माध्यम से मजबूत नेतृत्व विकसित करना कक्षा शिक्षण के बाद विद्यालय सुधार की कुंजी के रूप में दूसरे स्थान पर आता है (लीथवुड, 2010)। छोटे विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की अध्यापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना

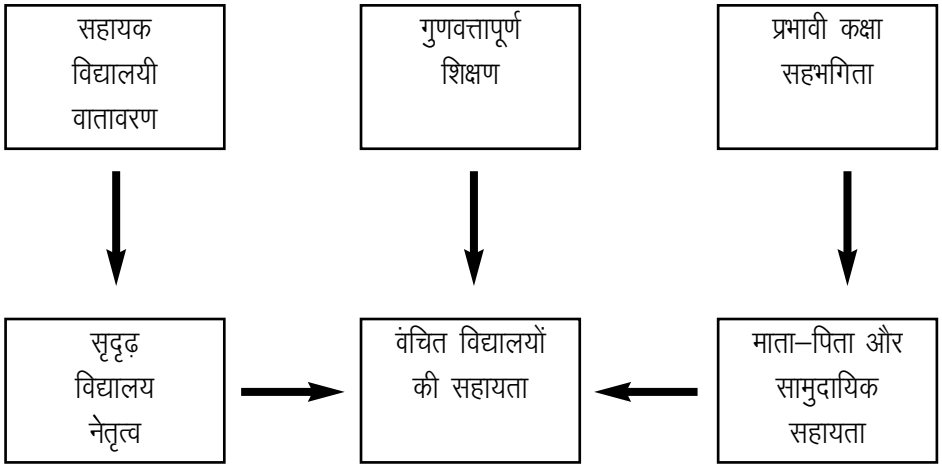

स्रोतः ओईसीडी (2012) शिक्षा में समता और गुणवत्ता पर रिपोर्टः वंचितों का समर्थन
http://dx.doi.org/10.1787/97-9264130852-en

और विद्यालय नेतृत्वकर्ताओं के लिए नेटवर्क और इन विद्यालयों को सहयोग देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ प्रतिकूल परिस्थितियों में सेवारत विद्यालयों और सक्षम नेतृत्वकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करना।

2. सहयोगी विद्यालयी वातावरण का विकास करनाः अधिगम में वृद्धि

सकारात्मक शिक्षक–विद्यार्थी और सहकर्मी संबंध, सुरक्षित और कुशल अधिगम वातावरण का विकास करते हैं जो अधिगम का आधार है। पीआईएसए 2009 के परिणाम बताते हैं कि उच्च प्रदर्शन की अपेक्षा, प्रयास करने के लिए तत्पर और अच्छे शिक्षक–विद्यार्थी संबंधों की विशेषता वाले विद्यालयी वातावरण में बेहतर परिणाम प्राप्त करने की प्रवृति होती है (ओईसीडी, 2010)। इस प्रकार, नीति को सुरक्षित और सकारात्मक अधिगम वातावरण के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सकारात्मक प्रतिक्रिया और सुदृढ़ीकरण (हैरोप और स्विंसन, 2007) के माध्यम से शैक्षणिक प्रदर्शन और बालक के मानसिक स्वास्थय एवं कल्याण को बढ़ावा दे। इसके अलावा, इसे वंचित विद्यालयों को परामर्श, मार्गदर्शन और या शिक्षा के विभिन्न चरणों को सुगमता से पार करने में सहयोग जैसी सेवाओं को निरंतर सहयोग प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

3. वंचित विद्यालयों का समर्थन करनाः

शिक्षकों और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार सुदूर ग्रामीण या शहरी झुग्गी बस्तियों आदि प्रतिकूल परिस्थियों में स्थित विद्यालयों को अधिकतर कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ता है (रामचंद्रन, 2018)। कम प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए जहाँ प्रभावी शिक्षण विशेष रूप से सहायक हो सकता है वो अक्सर इसे प्राप्त करने से छूट जाते हैं (ओइसीडी, 2005; डार्लिंग–हैमंड, 2000 फील्ड, कुजेरा और पोंट, 2007)। प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा और निरंतर व्यावसायिक विकास दोनों ही यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि शिक्षक वो कौशल और ज्ञान प्राप्त करें; जो उन्हें हर कक्षा हेतु अनुक्रियाशील होने और विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विषम परिस्थिति का नेतृत्व करने के लिए तैयार करे। वंचित विद्यालयों के लिए सक्षम शिक्षकों को तैयार करने हेतु शिक्षक शिक्षा में कुछ संदर्भ–विशिष्ट सामग्री शामिल होनी चाहिए (मुसेट, 2010)।

4. कक्षा के निर्देशों में सुधार करके अधिगम को एक आकर्षक अनुभव में तब्दील करना

पूर्व ज्ञान, व्यक्तिगत क्षमताओं और घर पर मिलने वाले सहयोग के प्रभाव से विद्यार्थियों के सीखने की गति अलग–अलग है (कॉमबर एट अल., 2001) और इनमें समायोजन करना और विविध शैक्षणिक अभ्यासों को विकसित करना शिक्षकों के लिए निरंतर चुनौती पैदा करता है। यह वंचित विद्यालयों में और अधिक गहन हो जाता है जहाँ बच्चे पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं और दयनीय सामाजिक–आर्थिक और भावनात्मक परिस्थितियों वाले विघटित या एकल परिवारों से आते हैं जो उनके पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। इस प्रकार, अधिगम–केंद्रित, संरचित, भली–भांति निर्मित, वैयक्तिक, समावेशी और सामाजिक वातावरण का निर्माण प्रभावी शिक्षा प्रदान करने में सहायक हो सकता है। (डय्यूमॉन्ट, इस्टेंस और

बेनावाइड्स, 2010)।

5. विद्यालयों और समुदाय के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में अधिगम

कई सामाजिक और आर्थिक कारकों (पश्चिम, 2007) के साथ–साथ विद्यालयों के प्रति समुदाय के रवैये के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थित विद्यालय माता–पिता और समुदाय के साथ जुड़ने में आने वाली चुनौतियों को लेकर भी असहाय हैं। इसके अलावा, कुछ माता–पिता विद्यालय और बच्चे की शिक्षा में अपनी भूमिका के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं या इसकी प्रासंगिकता से अनजान है (लीथवुड, 2010)। वंचित विद्यालयों में माता–पिता को शामिल करने की क्षमता विकसित करने के लिए विशिष्ट नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए जो उनके बच्चों की उपलब्धि के लिए सार्थक और सहायक हो सकें। इसमें खासकर उन अभिभावकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें अपने बच्चे की शिक्षा में संलग्न होने के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य मुक्त एवं लचीली शिक्षा है जो हमारे विद्यार्थियों को उनकी क्षमता को आकार देने में सक्षम बनाए। यह विषयों के बीच की असमानता को दूर करने का प्रयास करती है और विज्ञान, कला और मानविकी को पढ़ने के निर्बाध रास्ते खोलती है। यह विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने के लिए पाठ्यचर्चा विषयों के साथ–साथ परंपरागत शिक्षा में व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक विषयों को जोड़ने, एकाधिक प्रवेश और निकास विकल्पों की अनुमति देने और सभी के लिए विभिन्न स्तरों को सफलतापूर्वक पूरा पार करना आसान बनाती है। यह बच्चे के विकास के प्रारंभिक वर्षों को विद्यालयी शिक्षा में शामिल करने पर जोर देती है और अनिवार्य रूप से सीखने की उम्र को 3 से 18 वर्ष तक मानती है। इसके अलावा, यह सतत व्यापक आकलन की प्रणाली के साथ–साथ रटने की प्रणाली को खत्म करने के लिए मूल्यांकन के नए तरीकों की परिकल्पना करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत से गुण हैं पर कुछ पहलुओं पर यह अस्पष्ट दिखाई देती है। इसमें कई अस्पष्टताएं और अनसुलझे पहलू हैं जो परेशान तो नहीं करते पर भ्रमित अवश्य करते हैं और कई तरह के अर्थों के निकलने की गुंजाइश छोड़ देते हैं और गड़बड़ी पैदा करने की संभावना पैदा करते हैं।

नवउदारवादी सुधारों से प्रभावित होकर, सामाजिक कल्याण और जन सामान्य के विमर्श नाटकीय रूप से स्थानांतरित हो गए हैं ताकि शिक्षा में निहितार्थ खोजने वाले कॉरपोरेट जगत के सिद्धातों को स्थान दिया जा सकें। ऐसे में राज्य–प्रायोजित और निजी क्षेत्र के भेदभाव के साझा इतिहास वाले समुदायों को संसाधनों और अवसरों के पुर्नवितरण के बजाय, समता को व्यक्तिगत पसंद के पर्याय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतबल है कि सबसे नीचे वालों को असमान संसाधन की आवश्यकता होती है न की बराबर। राज्य हासिए पर पड़े लोगों के साथ आर्थिक व्यावहार्यता और

अनुकूलन के सिद्धातों का उपयोग नहीं कर सकता है।

इसमें नियंत्रण और निगरानी के बेहतर तरीकों की ओर अत्यधिक झुकाव है जो प्रणाली के केंद्रीकरण पर जोर देती है। हालांकि यह नौकरशाही में आसानी ला सकती है लेकिन यह रचनात्मकता, स्थानीय स्वायत्तता, विविधता का दम घोंट सकती है और मामूली और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के एकाधिकार को बढ़ावा दे सकती है। सरकार की पहल के साथ, यह शिक्षा को परोपकार पर छोड़ देती है और रोजगारपरक शिक्षा पर चुप रहती है। नीति, शिक्षक शिक्षा के अलावा भ्रष्टाचार और शिक्षा के निजीकरण को रोकने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाती है। नौकरशाहों की तरह, नागरिक समाज संगठन और व्यापारिक दिग्गज लोग नए विशेषज्ञों के रूप में उभरे हैं जो शिक्षा की समस्या को सुलझाने के बारे में सब कुछ जानते हैं।

राष्ट्रीय प्रणाली को विकल्प–आधारित मॉडयूल के संचालन के साथ–साथ अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जगह देने के लिए विद्यालयों में बेहतर और विस्तृत आधारभूत ढ़ाँचे की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, निर्माताओं, शिक्षक और प्रशिक्षकों की भर्ती और उन्हें कुशल बनाना एक कठिन कार्य होगा और इसके लिए कोई स्पष्ट खाका (रोड मैप) नहीं है। इसके अलावा, विकल्प–आधारित प्रणाली माता–पिता और विद्यार्थियों पर भारी दवाब डालेगी, जिन्हें सही विकल्प चुनने के लिए मार्गदर्शन और परामर्शदाताओं की आवश्यकता होगी, ताकि विद्यार्थी के अधिगम प्रतिफल को रोजगार क्षेत्र में जगह मिल सके; जो कि कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), यंत्र शिक्षण (मशीन लर्निंग) या स्वचालित शिक्षण और बिग डेटा एनालिटिक्स विकास के कारण पहले से ही सिकुड़ रहा है। त्रि–भाषा सूत्र में भारतीयों को एक सपंर्क भाषा विकल्प प्रदान कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। हमें कम से कम एक भाषाद्वैत (डायग्लॉसिया–ऐसी स्थिति जिसमें दो बोलियों या भाषाओं का उपयोग एक ही भाषा समुदाय द्वारा किया जाता है) निर्मित करने की जरूरत है। इसका मतबल है कि हमें दो भाषाओं में सक्षमता की आवश्यकता है, जिनमें से एक स्थानीय और दूसरी एक संपर्क–भाषा हो सकती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षकों की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु उनकी अभिप्रेरणा को स्वीकारती है। आगे नीति इस बात पर बल डालती है कि शिक्षकों की कमी को दूर करने, सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षकों के पेशेवर विकास में सुधार लाने और एक पेशे के रूप में शिक्षण के दर्जे को बढ़ाने, शिक्षकों की प्रेरणा को उन्नत करने की पहल की जाए। हालांकि, व्यवस्था ने अभी तक अपने आप को कामकाज की औपनिवेशिक शैली से मुक्त नहीं किया है जो अविश्वास द्वारा संचालित होती है जिसमें विद्यालय निरीक्षण, पुरस्कार और दंड के माध्यम से शासित बाहरी निगरानी और शिक्षक समर्थन और स्वायत्तता के बिना शिक्षक जवाबदेही के विचार पर काफी बल दिया जाता है। शिक्षक की केंद्रीयता के बिना बच्चे की केंद्रीयता व्यर्थ है।

विद्यार्थी के प्रदर्शन में असमानता और विद्यालय व्यवस्था के संस्थागत संरचना के स्तर पर पर्याप्त भिन्नता है और वह यह आश्रम विद्यालयों, ईएमआरएस, केजीबीवी और अन्य सरकारी विद्यालयों की शैक्षिक उपलब्धि के मुकाबले केवी, जेएनवी और मॉडल विद्यालयों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन में साफ दिखाई देता है। प्रशासनिक ढ़ाँचे और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए बिना शैक्षिक उपलब्धि में

सुधार करना भ्रामक है। संस्थागत विशेषताओं और शैक्षिक प्रतिफलों की दक्षता और समता के बीच सार्थक और प्रबल संबंध है। हमें समझौताकारी समन्वय (ट्रेडऑफ) को छोड़कर दक्षता के साथ समता प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अतः हमें क्षमता के आधार पर वर्गीकरण के लिए विद्यालयों के बँटवारे या विभिन्न स्तरों के निर्माण के बजाय; वंचित विद्यालयों में शिक्षा की निरन्तरता और शिक्षक सहयोग के प्रावधान की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। (साभार प्ररिप्रेक्ष्य)

संदर्भ

- एंडरसन, मुंगल, पिनी, स्कॉट और थॉमसन 2013, (पॉलिसी, इक्विटी एण्ड डाईवर्सिटी इन ग्लोबल कॉनटेक्स्टः एजुकेशनल लीडरशिप आफ्टर द वेल्फेयर स्टेट इन हैन्डबुक ऑफ रिसर्च ऑन एजुकेशनल लीडरशिप फॉर इक्विटी एण्ड डाइवर्सिटी, एनवाईः रूटलेज)।
- बॉल, एस, (2008), द एजुकेशन डिबेट, ब्रिस्टल इंग्लैंडः द पॉलिसी प्रेस, साइटेड इन एंडरसन मुंगल, पिनी, स्कॉट एण्ड थॉमसन (2013) पॉलिसी, इक्विटी एण्ड डाइवर्सिटी इन ग्लोबल कॉनटेक्स्टः एजुकेशन लीडरशिप आफ्टर द वेल्फेयर स्टेट।
- कौसा, ओ, एण्ड सी. चापुइस (2009), ''इक्विटी इन स्टूडेंट अचीवमेंट अक्रॉस ओईसीडी कट्रीज, एन इंवेस्टिगेशन ऑफ द रोल ऑफ पॉलिसीज'' ओईसीडी एकोनॉमिक्स वर्किंग पेपर्स, न. 708, ओईसीडी, पेरिस।
- सीबीपीएस. (2015), रेजिडेन्शल स्कूलिंग स्ट्रेटजीसः इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स एजुकेशन एण्ड एम्पावरमेंट, सेंटर फॉर बजट एण्ड पॉलिसी स्टडी (सीबीपीएस) बैंगलोर, एण्ड आईपीई ग्लोबल, इंडिया, फरवरी 2015।
- सीबीपीएस. (2017), रिव्यूइंग द स्टैटस ऑफ एजुकेशन इन ट्राइबल एरियाज इन महाराष्ट्र ए कॉम्परीहेनसिव रिपोर्ट. सेंटर फॉर बजट एण्ड पॉलिसी स्टडी (सीबीपीएस), बैंगलोर।
- कोम्बर, बी, एल, व अन्य. (2001), सोशिओं–एकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स एण्ड द डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन स्कूलः ए लोंगीटूडनल स्टडी, यूनिवार्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया।
- क्रॉफर्ड, जे (2007), ए डिमिनीश व्यू ऑफ सिविल राइट्सः नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइन्ड एण्ड द ग्रोइंग डिवाइड इन हाउ एजुके न इक्विटी इज अन्डसुटुड. एजुकेशन वीक. http.www.edweek.org/ew/articles/2007/06/06/39crawford.h26.html से लिया गया ।
- डार्लिंग–हैमंड, एल. (2002), 'टीचर क्वालिटी एण्ड स्टूडेंट अचीवमेंट', एजुकेशन पॉलिसी एनालिसिस अर्काइव्स, वॉल्यूम, 8, नं. 1।
- दीवान, एच, (2016), न्यू एजुकेशन पॉलिसी फैल्स टू एड्रेस ऑफ इक्विटी, http.www.villagesquare.in/2016/12/05/new-education-policy-fails-addre
- दीवान, एच, (2018), ''ईवोलूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिज इन इंडिया एण्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट इनिशियटिव्स'' इन लर्निंग कर्व. इशू (30). अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। http://apfstatic.s3.apsouth1.amazonaws.com/s3fspublic/Learning%20issue%20issue%2030%20-%de%20res-pdf?XHZo75.qGOb9mC2ps1rfQWrMQ2MAan80
- दीवान, आर. (2015), ''स्मॉल स्कूल्स इन पॉलिसी फ्यूचर्स इंडियाः इक्सक्लूशन एण्ड इनइक्विटी इन हाइरार्ककल स्कूल सिस्टम'' इन पॉलिसी फ्यूचर इन इंडिया. वॉल्यूम. 13(2) पृ. 187–204 डक्यूमॉन्ट, एच., डी. इस्टेन्स एण्ड एफ. बेनावीडेस (2010), द नेचर ऑफ लर्निंगः यूजिंग रिसर्च टू इंस्पायर प्रैक्टिस, ओईसीडी, पेरिस।

❍❍❍❍❍

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा : अपेक्षा, चुनौतियाँ एवं समाधान

— महेश नारायण दीक्षित

इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है, जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की ज़रूरतों की पूर्ति में सहायक होगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई है। इन 27 बिंदुओं में से बिंदु संख्या 15 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। वर्तमान शिक्षा नीति का शुभ परिणाम, इसे अमल में लाने के लिए तैयार की जाने वाली कार्य–योजना की उत्कृष्टता, संबंधित कार्य योजना पर अमल करने की दृढ़ इच्छाशक्ति और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर होगा। इस लेख में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षक शिक्षा से संबंधित समस्याओं, वर्तमान चुनौतियों तथा उनके संभावित समाधान की चर्चा की गई है। इसकी समझ शिक्षा के व्यापक परिदृष्य में कार्य कर रहे सभी हितधारकों के कार्य को सुगम बनाने में सहायक होगी।

शिक्षा प्रत्येक राष्ट्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है। मानव की उपलब्धियों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए प्रत्येक देश अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में समयानुसार सुधारात्मक परिवर्तन करता है। यह बात भारत पर भी लागू होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 1948 में विश्वविद्यालय आयोग, लक्ष्मी शंकर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा पर माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952) और सन् 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना, शिक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है।

सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा समिति (1992) की सिफ़ारिशों ने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा को सुधारने और आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भारत की वर्तमान चुनौतियों, समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा। वास्तव में, वर्तमान शिक्षा नीति कितनी प्रभावी होगी, यह तैयार की जाने वाली कार्ययोजना, संबंधित कानून और शिक्षा प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा। शिक्षा की प्रक्रिया में कई कारक शामिल होते हैं, जिनमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इक्कीसवीं सदी के भारत की शिक्षा नीति के स्वरूप को दर्शाने वाली, इस शिक्षा नीति में कुल 27 प्रमुख बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की

गई है। जिसमें बिंदु क्रमांक 15 में शिक्षक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें शामिल हैं। इसके साथ ही इस शिक्षा नीति के विद्यालयी शिक्षा से संबंधित बिंदुओं पर अनुसंधान में भी शिक्षक और शिक्षक शिक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई है। इस लेख में शिक्षक शिक्षा के सम्प्रत्यय एवं आवश्यकता पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव एवं अमल के दौरान आने वाली चुनौतियों तथा उसके संभावित समाधानों पर भी चर्चा की गई है।

शिक्षक शिक्षा

शिक्षक शिक्षा, दो शब्दों, शिक्षक एवं शिक्षा का समेकित रूप है, जिसमें शिक्षक शब्द का अर्थ सीखने एवं सिखाने वाले के रूप में तथा शिक्षा शब्द का अर्थ अध्यापन एवं ज्ञानाभिग्रहण के रूप में किया गया है। यहाँ दोनों ही शब्दों की उत्पति संस्कृत के 'शिक्ष्' धातु से हुई है, जिसका शब्दकोशीय अर्थ है, सीखना, अध्ययन करना तथा ज्ञानर्जन करना (आप्टे, 1999, पृष्ठ संख्या 1015)। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा का सामान्य अर्थ उस व्यक्ति की शिक्षा से है, जो सीखने एवं सिखाने का कार्य करता है। शिक्षक का समानार्थी शब्द गुरू है, जो प्राचीन और वर्तमान भारत में अध्यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षकों का प्रशिक्षण गुरूकुलों में स्वाभाविक रूप से अध्ययन–अध्यापन के दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर होता था, जिसमें प्रज्ञा के साथ ही साथ उत्तम चरित्र का होना अनिवार्य शर्त थी। समयांतर में समाज में औपचारिक शिक्षा की बढ़ती माँगने पेशेवर शिक्षकों के विकास की अवधारणा को बल दिया और शिक्षक शिक्षा की औपचारिक शुरूआत के लिए शिक्षक संस्थानों की स्थापना हुई।

शिक्षक शिक्षा, शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रम में उन युवाओं हेतु एक व्यावसायिक तैयारी है, जो शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। यह व्यावसायिक तैयारी अनेक प्रकार की हो सकती है, पंरपरागत अथवा वस्तुनिष्ठता से युक्त एवं आबद्ध, जिसका लक्ष्य है – विद्वता एवं खुलेपन के लिए समर्पित प्रगतिशील शिक्षक वर्ग की उपलब्धि, जो विद्यार्थियों की व्यक्तिपरकता अथवा आत्मनिष्ठा के प्रति अभिमुख हो (शर्मा एवं शर्मा, 2015 पृष्ठ संख्या 4)।

शिक्षक शिक्षा की व्यापक परिभाषा देते हुए कुमार (2016, पृष्ठ संख्या 1) लिखते हैं कि, ''अध्यापक शिक्षा एक शैक्षिक आयोजन है, जिसमें विभिन्न स्तरीय एवं वर्गीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाता है कि वे आने वाली पीढ़ी को ज्ञान एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण तथा वहन करने योग्य बनाने में सक्षम हो सकें। उनमें तकनीकि कुशलता, वैज्ञानिक चेतना, संसाधन सम्पन्नता तथा नवाचारिता के साथ सांस्कृतिक उद्दीपन एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना संभव हो सके।''

शिक्षण शिक्षा की आवश्यकता

प्राचीन काल से ही शिक्षक का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, जो उसके समाज के प्रति निर्वहन किए जाने वाले महत्वपूर्ण कर्तव्यों के संदर्भ में देखा जाता है। प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक के कर्तव्य को इंगित करते हुए अलतेकर (2014, पृष्ठ संख्या 41) लिखते हैं कि, ''अध्यापन के अतिरिक्त

आचार्य के और भी कर्तव्य होते हैं। उसे शिष्य का मानस पिता माना गया था। अतः नैतिक दृष्टि से शिष्य के समस्त दोषों का उत्तरदायित्व उस पर था। शिष्य के चरित्र का सर्वदा ध्यान रखना उसका कर्तव्य होता था।'' राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक को समाज की स्थिति का मानदंड मानते हुए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि समाज में शिक्षक की स्थिति समाज की सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों की परिचायक है, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने शिक्षक से अधिक विकसित नहीं हो सकता है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 1998, पृष्ठ संख्या 31)। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षक शिक्षा के प्रति ध्यान दिया जाए तथा ज्ञानी, कुशल, दक्ष, संवेदनशील एवं चरित्रवान शिक्षकों का विकास किया जाए।

सीखना एवं सिखाना यद्यपि एक–दूसरे के निकट हैं, किंतु दोनों में प्रक्रियागत एक महत्वपूर्ण भेद है, जहाँ सीखने की प्रक्रिया भूल–सुधार एवं सत्त अभ्यास के सिद्धांत का अनुगमन करती है, वहीं सिखाने की प्रक्रिया में भूल एवं सुधार के सिद्धांत को लागू करना एक गंभीर परिणाम को जन्म दे सकता है। इसलिए इसमें गहन शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक की आवश्यकता है। शिक्षार्थी की शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी शैक्षिक उपलब्धि का स्तर शिक्षक की दक्षता, संवेदनशीलता और प्रेरणा से निर्धारित होता है। साथ ही यह सर्वमान्य धारणा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक को पढ़ाए जाने वाले विषय की समझ एवं व्यावसायिक क्षमता, सीखने के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण करती है (नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 2009, पृष्ठ संख्या 1)। इसलिए शिक्षक शिक्षा को आवश्यक माना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वीकार करते हुए कहा गया है कि, "शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं"। इस महान योगदान के कारण शिक्षक भारतीय समाज के सबसे सम्मानित सदस्यों में से एक थे और केवल सर्वश्रेष्ठ विद्वान ही शिक्षक बनते थे (शिक्षा मंत्रालय, 2020, पृष्ठ संख्या 30)। वर्तमान शिक्षा नीति जहाँ शिक्षकों में प्राचीन भारतीय मूल्यों एवं सांस्कृतिक गौरव को जीवंत रखना चाहती है, वहीं इस नीति में शिक्षक को आधुनिक शैक्षिक तकनीकि एवं संसाधनों के उपयोग में भी दक्ष बनाने की बात पर बल दिया गया है। वास्तव में कोई भी शैक्षिक उद्देश्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन उद्देश्यों को प्राप्त कराने वाला प्रेरक स्वयं दक्ष न हो। इसलिए यह ज़रूरी है कि शिक्षकत्व के पूर्ण विकास के लिए एक सुनियोजित शिक्षा की योजना निर्धारित हो। शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में तेज़ी से आ रहे परिवर्तन के साथ कदम–ताल मिलाने, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, कौशलयुक्त मार्गदर्शन, तकनीकि ज्ञान की प्राप्ति एवं आंतरिक अभिप्रेरणा के विकास के संदर्भ में देख सकते हैं (कुमार, 2016, पृष्ठ संख्या 3)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक की परिकल्पना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक की एक आदर्श अवधारणा प्रस्तुत की गई है, जो प्राचीन भारतीय शिक्षकों की तरह विद्वता, नैतिक आचरण, कर्तव्य परायणता और विश्व के कल्याण के लिए सत्त प्रयत्नशील शिक्षक की कार्यप्रणाली की याद दिलाती है। इसके साथ ही यह नीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, सूचना–संचार की तकनीकों और अत्याधुनिक उपकरणों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में समर्थ तथा

आधुनिक नवाचारों एवं ज्ञान–विज्ञान में दक्ष शिक्षकों की अवधारणा प्रस्तुत करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बिंदु क्रमांक 15.1 में कहा गया है कि, "अगली पीढ़ी को आकार देने वाले शिक्षकों की एक टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को तैयार करना एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके लिए बहु–विषयक दृष्टिकोण और ज्ञान की आवश्यकता के साथ बेहतरीन मेंटरों के निर्देशन में मान्यताओं और मूल्यों के निर्माण तथा उनके अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अध्यापक शिक्षा और शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित अद्यतित प्रगति के साथ भारतीय मूल्यों, भाषाओं ज्ञान लोकाचार और परंपराओं (जनजातीय परंपराओं सहित) के प्रति भी जागरूक रहें।" इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इक्कीसवीं सदी की शिक्षक शिक्षा से अपेक्षा की गई है कि ये शिक्षक शिक्षा संस्थान ऐसे शिक्षकों को विकसित करें, जिनमें निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूर्ण करने की दक्षता हो.....

1. शिक्षक को अपने विषय की विशेषज्ञता के साथ–साथ अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए ताकि वह समग्र शिक्षण की अवधारणा को मूर्तरूप दे सकें।
2. शिक्षक को अध्ययन–अध्यापन की प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए।
3. शिक्षक, आजीवन सीखने वाले की भूमिका में होना चाहिए ताकि लगातार स्वयं को विकसित कर सकें।
4. अध्ययन–अध्यापन की प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और रूचि होनी चाहिए।
5. भारतीय संस्कृति और विरासत को समझें और इसके प्रति गौरव की भावना रखें।
6. आधुनिक सूचना–संचार प्रौद्योगिकी और शैक्षिक नवाचारों के साथ–साथ इन्हें उपयोग करने की क्षमता की भी समझ होनी चाहिए।
7. अध्ययन, शिक्षण, अनुभव और अनुसंधान के माध्यम से स्वयं को प्रासंगिक बनाए रखने एवं कौशलात्मक सुधार के लिए उत्सुक होना चाहिए।
8. कम से कम तीन भाषाओं में दक्ष होना चाहिए ताकि वे विश्वासपूर्वक और लगन से त्रिभाषा नीति के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें।
9. संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों के पालन को जीवन का अंग बनाने वाला होना चाहिए।
10. अध्ययन–अध्यापन के क्षेत्र में नवाचारों की खोज एवं तदनुरूप स्व–अध्ययन शैली में परिवर्तन के प्रति तत्पर होना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षक शिक्षा के संबंध में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव

इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार इस शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिनके अनुपालन से न केवल शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक बदलाव लाया जा सकता है, बल्कि इसके साथ ही विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार को गति दी जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा से संबंधित प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है। इसमें शिक्षक–प्रशिक्षण की चर्चा भी शामिल है। शिक्षक शिक्षा पर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग (2012) की

चिंताओं एवं शिक्षक–प्रशिक्षण के क्षेत्र की समस्याओं तथा उपरोक्त शिक्षक शिक्षा संबंधी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं –

1. शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम केवल बहु–विषयक शैक्षिक संस्थानों में ही आयोजित किए जाएं।
2. वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सृदृढ़, बहु–विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित हों।
3. वर्ष 2030 से एकीकृत बी.एड. का अध्ययन केवल बहु–विषयक, गुणवत्तायुक्त एवं निर्धारित मानकों के आधार पर संचालित संस्थानों में ही किया जा सकता है।
4. एकल विषय आधारित शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष 2030 तक बहु–विषयक संस्थानों के रूप में उन्नयन करना, जो संस्थान ऐसा करने में असफल होंगे उन्हें बंद कर दिया जाए।
5. चार वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम, दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और एक वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को स्वीकृति, लेकिन केवल उन्हीं बहु–विषयी संस्थान को दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और एक वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति मिले, जो सफलतापूर्वक चार साल के शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रम को चला रहे हों।
6. जिनके पास स्नातक की डिग्री है, उनके लिए दो वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एवं जिनके पास विशिष्ट विषय के साथ चार वर्षीय स्नातक की डिग्री है, उनके लिए एक वर्षीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा सकता है।
7. समाज की आवश्यकताओं को साकार करने वाली नई माँग आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।
8. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थीवृति की व्यवस्था के साथ ही साथ ज़रूरतमंद प्रशिक्षुओं की मदद करना।
9. गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान द्वारा आयोजित विषय और शिक्षक योग्यता परीक्षा के आधार पर शिक्षक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश।
10. पी.एच.डी. कार्यक्रम में नए नामांकित विद्यार्थियों को अपने शोध (शिक्षा शास्त्र या अध्ययन अथवा पाठयक्रम विकास) के लिए प्रासंगिक विषय में क्रेडिट आधारित अध्ययन करना होगा।
11. शिक्षकों के रूप में काम करने वाले सभी शिक्षकों को अपने व्यावसायिक विकास को जारी रखने के लिए प्रेरणा और सुविधाएँ दी जाएँ।
12. स्वयं और दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों से जुड़कर आत्म–विश्वास के अवसर पैदा करना।

सुझावों के कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियां और समाधान

किसी भी नीति की सफलता इसके कुशल और व्यावहारिक कार्यान्वयन में निहित है। नीति या योजना कितनी व्यावहारिक और फलदायी होती है, यह कार्यान्वयन की योजना और निष्पादक के साथ–साथ कार्यकर्ता पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी की गई है, परंतु यह नीति प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन की स्पष्ट योजना या कानूनी

प्रावधानों को स्पष्ट रूप से दिशा–निर्देशित नहीं करती है।

नीति, केवल इस बात पर चर्चा करती है कि क्या किया जाएगा या क्या होने की उम्मीद है, लेकिन इस नीति को अमल में कैसे लाया जाएगा, का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित शिक्षक शिक्षा से संबंधित सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ और इसके समाधान निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझे जा सकते हैं–

1. संरचनात्मक अस्थिरता संबंधित चुनौतीः शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में की गई सिफ़ारिशों में संरचनात्मक परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है। इस सिफारिशों को लागू करने से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में इतने प्रयोग हुए हैं, जितने पूरी शिक्षा प्रणाली में नहीं हुए। एक वर्षीय बी. एड. कार्यक्रम को परिवर्तित कर दो वर्षीय बी.एड़ कार्यक्रम बना दिया गया। बदलाव इतनी जल्दबाजी में किए गए कि कोई भी शोधार्थी या संस्थान इस संरचना परिवर्तन की सफलता या विफलता को माप नहीं पाया। अभी यह परिवर्तन सही से क्रियान्वित भी नहीं हुआ था कि सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप फिर से आनन–फानन में नए पाठ्यक्रमों की संरचना की गई। अभी इस योजना पर अमल हो ही रहा था कि अब इस नीति के माध्यम से चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा की बात लागू कर दी गई है। इस क्षेत्र में इन लगातार बदलावों का पूरी शिक्षक शिक्षा पर गहरा नकारात्मक असर पड़ा है। ये परिवर्तन अपने आप में एक चुनौती है। यदि शिक्षक शिक्षा को गुणवत्तायुक्त बनाना है तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए ये परिवर्तन स्थायी होने चाहिए और कम से कम 10 साल तक अवश्य ही चलते रहना चाहिए, अन्यथा इस परिवर्तन का भी शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में कोई खास योगदान नहीं होगा। मात्र सत्ता के परिवर्तन अथवा सरकार के मनस्वी विचार के आधार पर नहीं, बल्कि होने वाला कोई भी परिवर्तन शोध आधारित होना चाहिए।

2. स्वरूप परिवर्तन से संबंधित चुनौतीः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, चार वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम पर बल देती है, लेकिन इसके साथ ही दो वर्षीय और एक वर्षीय बी.एड. कार्यक्रम को फिर से स्थापित करने की पहल की गई है। अंतर यह है कि ये सभी कार्यक्रम अब केवल बहु–विषयक स्वायत्त कॉलेजों या विश्वविद्यालय में चलाए जा सकते हैं। वर्तमान स्थिति में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में एकल पाठ्यक्रम आधारित कॉलेजों की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें भी निजी संस्थानों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में बहु–विषयक संस्थानों की आवश्यकता होगी। ऐसे में नवीन संस्थानों की स्थापना एवं अपग्रेडेशन का कार्य कैसा होगा? आवश्यक पूँजी कहाँ से आएगी जैसे प्रश्न अपने आप में बहुत बड़ी समस्या हैं। वित्तीय, शैक्षिक और मानवीय सुविधाओं के आभाव में एकल सरकारी या निजी संस्थान के लिए खुद को बहु–विषयक संस्थान में बदलना एक बड़ी समस्या होगी। यदि आज के निजी संस्थान स्वयं को बहु–विषयक संस्थानों में विकसित नहीं कर पाएँगे तो शायद यह संस्थान बंद हो जाएँगे।

इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार समय–समय पर समाज की ज़रूरतों की जाँच करे और आनुपातिक रूप से नए संस्थान खोलने की पहल करने के साथ ही अच्छी तरह से

कार्य कर रहे निजी संस्थानों को भी अनुदान प्रदान कर उन्हें बहु–विषयक संस्थान के रूप में विकसित करने में मदद करें। यदि निजी क्षेत्र के संस्थान इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उन्हें इस शर्त के साथ अनुमति दी जानी चाहिए कि वे, इस कार्य से मुनाफ़ा कमाने की न सोचें और शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीतियों का सख्ती से पालन करें। साथ ही स्वरूपगत परिवर्तनों से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए स्पष्ट नीति बने। सरकार वित्तीय एवं संसाधनों की उपलब्धता के प्रति अपनी जवाबदेही को निभाए तथा निजी क्षेत्र के संस्थान इसे सेवा कार्य मानते हुए आर्थिक उपार्जन की क्षुद्र भावना से ऊपर उठते हुए, नीति–नियमों का पालन कर शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखें।

3. संसाधनों की कमीः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक के क्षेत्र में सुझाई गई गुणवत्ता की प्राप्ति के लिए आवश्यक भौतिक संसाधनों की भारी कमी दिखाई देती है। प्रत्येक संगठन को सुविधाओं के मामले में एक आदर्श संगठन के रूप में विकसित किया जाना है। शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता शिक्षण प्रक्रिया को आसान, सुविधाजनक और प्रभावी बनाती है। बच्चों के चहुँमखी, समन्वित और पूर्ण विकास के लिए व्यक्तित्व के हर पहलू का विकास आवश्यक है। भावी शिक्षक के मानसिक विकास के लिए कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, गतिविधि कक्ष एवं समिति कक्ष के साथ–साथ शारीरिक विकास के लिए एक खेल का मैदान और व्यायामशाला की आवश्यकता होगी। वर्तमान परिदृश्य में, अधिकांश सरकारी और निजी संस्थानों में इन सुविधाओं का अभाव है। अगर सभी सुविधाओं की पूर्ति करनी है तो अधिकांश निजी संस्थानों को ट्यूशन फ़ीस बढ़ानी होगी, जिससे पहले से ही महँगी निजी शिक्षा और अधिक महँगी हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार शिक्षक शिक्षा को एक आवश्यक सेवा माने तथा प्रत्येक शिक्षक शिक्षा संस्थान को इन सभी सुविधाओं को निःशुल्क स्थापित करने में मदद करें।

शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार प्रतिशत खर्च करके इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए, सरकार को अगले तीन वर्षों में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ़ाकर छह प्रतिशत करना होगा और इसे 2035 में अमल में लाने के बजाय आज से ही क्रियान्वित करना चाहिए। सभी शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं, चाहे वे सरकारी हों या निजी, दोनों के लिए समान नीति नियम लागू हों। इसके साथ ही भौतिक और मानव संसाधन संबंधी खर्चों को सरकार स्वयं वहन करें।

4. शिक्षक–प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में अस्पष्टताः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों को तैयार करने के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करने वाले शिक्षक–प्रशिक्षक कैसे प्रशिक्षित होंगे। नीति में एम.एड. (शिक्षक–प्रशिक्षक तैयार करने वाले पाठ्यक्रम) के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। शिक्षक–प्रशिक्षकों की दक्षता पर भविष्य के शिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व होता है जो शिक्षक की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षक–प्रशिक्षण, वस्तुतः एक समग्र और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक एवं उन्हें प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक–प्रशिक्षक एक बढ़ते क्रम में योजनाबद्ध रूप से आपस में जुड़े होते हैं। शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता प्रशिक्षकों (जो एम.एड. में पढ़ा सकते हैं) की तैयारी है, जो शिक्षक–प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक, केवल प्रशिक्षक की क्षमता और ज्ञान के

अनुसार तैयार किए जा सकते हैं। इन शिक्षक–प्रशिक्षकों की दक्षता भविष्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की क्षमता को प्रभावित करेगी, जो अंततोगत्वा विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रभावित करेगी।

क्या और कैसे सिखाना? की तैयारी के लिए विद्यार्थी से लेकर शिक्षक–प्रशिक्षक स्तर के सभी संबंधित व्यक्तियों को विचार करना होगा। शिक्षक–प्रशिक्षक की तैयारी के लिए सुविधाएँ, पाठ्यक्रम और योजनाएँ तत्काल तैयार की जानी चाहिए। इसी तरह वर्तमान में प्रशिक्षण कार्य में लगे व्यक्तियों को भी सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के निस्तारण के लिए तत्काल शिक्षक–प्रशिक्षक पाठ्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन इस योजना की ज़रूरत है।

5. शिक्षा शास्त्र में अप्रशिक्षित व्यक्ति से गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण संबंधी अपेक्षाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी एकल शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों के रूप में विकसित करना हैं। इसके लिए उन विषय–विशेषज्ञों को भी नियुक्त करने की सिफारिश की गई है, जिन्होंने शिक्षक–प्रशिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। जबकि शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषकृत कार्यक्रम है, जिसमें बाल व्यवहार एवं मनोविज्ञान, अध्ययन–अध्यापक की तकनीक एवं शिक्षा शास्त्र, आकलन अथवा मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन एवं निर्देशन जैसे अनेक विषयों से संबंधित विशेषज्ञीय सेवा की आवश्यकता होती है।

शिक्षा शास्त्र मात्र विषयों को ही पढ़ाने का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि ये अप्रशिक्षित एवं मात्र अपने विषय (गणित, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि) में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति भावी शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षण दे सकते हैं, क्योंकि शिक्षक–प्रशिक्षण का कार्य, क्या सीखना है, से ज्यादा कैसे सिखाना है, पर ज़ोर देता है। वर्तमान स्थिति में ऐसे शिक्षक केवल विषय ज्ञान प्रदान कर पाएँगे, जो सूचना क्रांति के समय में इंटरनेट से भी आसानी से खोजा जा सकता है। वास्तव में, आदर्श स्थिति यह है कि जो कोई भी इस क्षेत्र से जुड़े, उसे विषय के साथ ही अध्ययन–अध्यापन से संबंधित तीनों शिक्षण शास्त्रों (पेडागॉजी अर्थात् बाल–शिक्षाण शास्त्र एवं हेट्रागॉजी अर्थात् स्व–निर्देशित शिक्षण शास्त्र) की समझ एवं प्रशिक्षण अपरिहार्य है, जहाँ विषय–विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के बिना शिक्षक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य कराने की अनुमति दी गई है, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पी.एच.डी. करने वाले शोधार्थियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने विषय से संबंधित शिक्षण शास्त्र से संबंधित कोर्स भी करें, जिससे आगे चलकर उन्हें पढ़ाने में कठिनाई न हो, जो एक अच्छी पहल है। अगर पी.एच.डी. करने वाले शोधार्थी से यह अपेक्षा रखी जाती है, तो शिक्षक शिक्षा जैसे विशेषीकृत कार्यक्रम में मात्र अपने विषय का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भविष्य के शिक्षक कैसे तैयार करेंगे, यह एक व्यावहारिक समस्या है। इसलिए शिक्षक शिक्षा संस्थान में शामिल होने वाले व्यक्ति के लिए शिक्षा शास्त्र में कुशल होना आवश्यक किया जाए और इस महत्वपूर्ण निर्णय को, बनाई जाने वाली कार्य योजना में अवश्य शामिल किया जाए।

6. प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने की चुनौतीः राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपेक्षा की गई है कि प्रतिभाशाली या उच्च श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थी–शिक्षक बनने के प्रति आकर्षित हों। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए विद्यार्थीवृति की व्यवस्था की गई है (अंक संख्या 15. 5, पृष्ठ संख्या 70)। यद्यपि विद्यार्थीवृति का सुझाव प्रशंसनीय कदम है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। वास्तव

में, प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के किसी भी व्यवसाय में आकर्षित करने के लिए उस क्षेत्र में शामिल होने के समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ–साथ आगे बढ़ने के अवसर की अनुकूलता आवश्यक है।

वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी व्यक्ति को (केवल सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में मिलने वाले वेतनमान को छोड़कर) शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करता हो। सरकारी विद्यालयों में अध्यापन के साथ–साथ शिक्षक से जिस तरह का काम लिया जाता है, वह व्यवसाय की गरिमा और समाज में इनकी प्रतिष्ठा को गंभीर रूप से नुकसान तो पहुँचाता ही है, इसके साथ ही साथ उसके विद्यालयी कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। शिक्षकों का शैक्षणिक कार्यों से इतर कार्य करने के कारण सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति प्रभावित होती है। वहीं निजी संस्थानों में शिक्षकों का वेतनमान इतना कम है कि इस तरह कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी मात्र मजबूरी में ही शिक्षक बनने की सोच सकता है। दूसरी बात माँग एवं आपूर्ति के नियमों की अवहेलना कर जिस तरह से पिछले दशक में बी.एड. एवं डी.एल.एड. की निजी संस्थानों को खोला गया, वह एक गंभीर चिंता का विषय है। कम गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण (केवल कागज पर) प्रदान करो या वितरण के कारण दोयम दर्जे के शिक्षकों की फौज खड़ी हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप डिग्री होने के बावजूद काम करने का अवसर न मिलने तथा मनरेगाा की तुलना से भी कम (यहाँ तक कि 2500 से 4000 प्रतिमाह) वेतन पर शिक्षक बनने के लिए कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति आकर्षित नहीं होगा। अतः अगर हम वास्तव में इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें इस क्षेत्र में शामिल होने के लिए समान अवसर, सम्मानजनक वेतनमान, समाज में क्षेत्र की प्रतिष्ठा और उस व्यवसाय में काम करने के तरीके के साथ–साथ आगे बढ़ने के अवसर को भी सुनिश्चित करना होगा। अनावश्यक गैर–शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर शिक्षकों को शिक्षण का सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना होगा।

7. नए पाठ्यक्रम को डिज़ाइन करने की चुनौती : राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय की शिक्षा संरचना को 5$3$4 (तीन से 18 साल के विद्यार्थियों के लिए) में बदल दिया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार, मानव विकास के सात मुख्य चरण हैं – शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इन चरणों में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के चरण का संबंध जीवन के लगभग 82 वर्ष (18 वर्ष से 100 वर्ष) से है, जिसमें वैचारिक और शारीरिक परिपक्वता को छोड़कर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक मानव व्यक्तित्व में एक तेज और बहुआयामी परिवर्तन होता है, जो बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक, सांवेगिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। इस काल को ही सीखने का सर्वोत्तम काल माना जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की संरचना मनोविज्ञान के सिद्धातों को ध्यान में रखकर की गई है, लेकिन पाठ्यक्रम के प्रारूप के संबंध में कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर (3 से 8 वर्ष), उत्तर बाल्यावस्था (9 से 12) और किशोरावस्था (13 से 18) में होने वाले शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तनों के मद्देनज़र पाठ्यक्रम संरचना

के लिए स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तुरंत लागू करने के लिए आवश्यक है कि नए पाठ्यक्रम का निर्माण तुरंत किया जाए।

शिक्षक की भूमिका में एक बड़ी तब्दीली आई है, उसे अब तक ज्ञान के स्रोत के केंद्र रूप में स्थान मिलता रहा है और वही सूमची सीखने–सिखाने की प्रक्रिया का संरक्षक एवं प्रबंधक रहा है। अब उसकी भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की होगी, जो सूचना को ज्ञान अथवा बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों से शिक्षार्थियों को उनके शौक्षणिक लक्ष्यों से शिक्षार्थियों को उनके शौक्षणिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करे (एन.सी.एफ. 2005, पृष्ठ संख्या 122)। इस चुनौती से निपटने के लिए रचनात्मक अधिगम पर आधारित शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विशेषज्ञों की टीम गठित की जानी चाहिए तथा सी.बी.एस.ई., एन.सी.ई.आर.टी. एवं एस.सी.ई.आर.टी., आदि संस्थानों का सहयोग लेकर पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को अभियान की तरह निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया जाना चाहिए, जिसमें नीति के साथ ही साथ विद्यार्थियों के विकास एवं वृद्धि के विभिन्न चरणों में होने वाले परिवर्तन, उनकी अभिक्षमता, रूचि एवं उनके हितों के साथ–साथ समाज की ज़रूरतों और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाए।

8. शिक्षक शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को बनाए रखने की चुनौतीः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर तक ड्रॉप आउट दर को शून्य प्रतिशत पर ला देना, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का नामांकन 50 प्रतिशत तक बढ़ाना तथा प्रत्येक एकल शिक्षक शिक्षा की संस्थाओं को बहु–विषयी संस्था के रूप में विकसित करना है। वर्ष 2030 तक सभी एकल संस्थाओं को बहु–विषयी संस्था के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 के बाद मात्र बहु–अनुशासनात्मक संस्थानों में ही शिक्षक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं। वर्तमान में भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए यह लक्ष्य अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक रूप से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालयों के साथ–साथ उच्च शिक्षा संस्थानों को खोलना होगा, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इसमें शिक्षकों के साथ–साथ भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी।

केंद्र सरकार आज सकल घरेलू उत्पाद का लगभग चार प्रतिशत ही खर्च कर रही है, जो उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत कम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस समस्या को समाप्त करने के लिए बजट का छह प्रतिशत खर्च करने का सुझाव दिया गया है, जिस पर अमल करने की समय सीमा 2035 रखी गई है। साथ ही निजी क्षेत्र से धन के प्रबंधन के साथ–साथ संसाधनों के प्रबंधन की बात भी की गई है। वास्तव में केवल छह प्रतिशत के साथ उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है।

अगर निजी क्षेत्र को आज की तरह ही शैक्षिक संस्थानों के संचालन की अनुमति दी जाती है, तो गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति के पीछे विभिन्न कारणों में अधिकांश निजी संस्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और मुनाफ़ाखोरी सबसे अधिक ज़िम्मेदार है। बेशक, कुछ निजी शैक्षणिक संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र से पूँजी की प्राप्ति, बड़ी मात्रा में वित्तीय प्रबंधन, गुणवत्ता का सुनिश्चितीकरण और निजी संस्थाओं पर नियंत्रण एक बड़ी चुनौती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए तैयार की जाने वाली योजना को उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी नियामक संस्थाएँ निडर होकर काम करती हैं तो इस चुनौती को पार करने में कोई विशेष बाधा नहीं होगी। मज़बूत इच्छाशक्ति, स्पष्ट कार्य योजना और पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार, शिक्षक, प्रबंधन समिति एवं समाज सबकी निश्चित भूमिकाओं के निर्वाह की ज़रूरत है।

निष्कर्ष

शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक सभी का एक–दूसरे के साथ बहुत गहरा संबंध है, जहाँ शिक्षा, विकास की एक प्रक्रिया है, सीखने वाला उस विकास का लाभार्थी है तो शिक्षक इस पूरी प्रक्रिया का समन्वयक, निर्माता और प्रशासक है। इसीलिए शिक्षा की प्रक्रिया को गुणात्मक और प्रभावी बनाने के लिए इक्कीसवीं सदी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, जिसने शिक्षक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षक शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए जो सिफ़ारिशें और अपेक्षाएँ की गई हैं, उन्हें पूरा करने में कई चुनौतियाँ होंगी, जिनकी ऊपर चर्चा की जा चुकी है। यदि शिक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो उपरोक्त चुनौतियों का हल ढूढ़कर भारतीय शिक्षा प्रणाली को फिर से विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ सरकार, समाज, शिक्षक, प्रबंध समिति एवं विद्यार्थियों के प्रयासों की ज़रूरत है। (भारतीय आधुनिक शिक्षा)

संदर्भ

- अलतेकर, ए. एस. 2014. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति. अनुराग प्रकाशन, वाराणसी।
- आप्टे, वी. एस. 1999, संस्कृत. हिन्दी कोश, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली।
- कुमार, एन. 2016. अध्यापक शिक्षा, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. 2009. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. फॉर टीचर एजुकेशन. एन.सी.टी.ई., नयी दिल्ली. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. भारत सरकार, नयी दिल्ली।
- 1998. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (ऐज मोडिफाईड 1992). 12 दिसंबर, 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-report/NPE86-mod92.pdf से प्राप्त किया गया।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006 राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005. रा. शै. अ. प्र. प., नयी दिल्ली।
- 2010, पर्सपेक्टिव ऑन नई तालीम, रा. शै. अ. प्र. प., नयी दिल्ली।
- शर्मा, वी.पी और आर शर्मा. 2015. अध्यापक प्रशिक्षण तकनीक, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- शिक्षा मंत्रालय 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार, नयी दिल्ली, 12 दिसंबर, 2020 को https://www.,mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0-pdf से प्राप्त किया गया।

❍❍❍❍❍

हमारे लेखक

विमलेश सिंह
अतिथि विद्वान, अर्थशास्त्र
शासकीय महाविद्यालय पिछोर
जिला–ग्वालियर
मध्य प्रदेश

विभा तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर
इंस्टिट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
ग्वालियर
मध्य प्रदेश

रमेश चंद शर्मा
पर्यावरणविद
पूर्व युवा निदेशक
गांधी शांति प्रतिष्ठान
नई दिल्ली

सौरभ मिश्र
सहायक अध्यापक
राजकीय इण्टरकालेज धोबीघाट
पोस्ट ऑफिस–लैन्सडोन
पौड़ी गढ़वाल

संजीव कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर,
मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(एस.सी.ई.आर.टी.), केशवपुरम
दिल्ली

शरद शर्मा
सहायक आचार्य
राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण
परिषद, दिल्ली

कश्यपी अवस्थी
सहायक प्रोफेसर
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन
संस्थान, अरविन्दो मार्ग
नई दिल्ली– 110 016

महेश नारायण दीक्षित
एसोसिएट प्रोफेसर
शिक्षा विभाग, शिक्षा संकाय
गुजरात विद्या पीठ, अहमदाबाद
गुजरात– 380 014

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
डा. एल. राजा

बहिर्गामी अध्यक्ष
श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
प्रो. राजेश
प्रो. एस. वाई. शाह

महासचिव
श्री सुरेश खण्डेलवाल

कोषाध्यक्ष
डा. पी. ए. रेड्डी

संयुक्त सचिव
श्री मृणाल पन्त

सह–सचिव
डा. डी. उमा देवी
श्री राजेन्द्र जोशी
श्री ए. एच. खान
श्री हरीश कुमार एस.

सदस्य
सुश्री निशात फारूख
डा. आशा आर पाटिल
डा. आशा वर्मा
श्री वाई एम जनानी
श्री वाई. एन. शंकरेगोडा
डा. वी. रेघु

सहयोजित सदस्य
प्रो. अशोक भटट्राचार्य
श्रीमती इन्दिरा राजपुरोहित
डा. डी. के. वर्मा

"सुसंस्कृत घर जैसी कोई पाठशाला नहीं और ईमानदार, सदाचारी माता–पिता जैसे कोई शिक्षक नहीं।"

– महात्मा गांधी

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए सुरेश खण्डेलवाल द्वारा 17–बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स – ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।
सम्पादक : सुरेश खण्डेलवाल